34

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)
सत्रहवीं लोक सभा

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(औषध विभाग)

अनुदानों की मांगों
(2022-23)

चौंतीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

16 मार्च, 2022/ 25 फाल्गुन, 1943 (शक)

सीसीएंडएफ सं. 162

चौंतीसवां प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(औषध विभाग)

अनुदानों की मांगों

(2022-23)

21 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
21 मार्च, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
16 मार्च, 2022/ 25 फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय-सूची		
पृष्ठ		
समिति (2021-22) की संरचना		
प्राक्कथन		
अध्याय - एक	परिचय	
अध्याय - दो	अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच [मांग संख्या 7]	
अध्याय - तीन	बजट उपयोग प्रवृत्ति (2019-20 से 2021-22)	
अध्याय - चार	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	
	भाग दो	
टिप्पणियां/सिफारिशें		
परिशिष्ट		
एक.	रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 25.02.2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	
दो.	**रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 16.03.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश**	

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दिवेन्दु अधिकारी
3. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
4. श्री दीपक बैज
5. श्री रमाकान्त भार्गव
6. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
7. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
8. श्री संजय शामराव धोत्रे
9. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
10. श्री कृपानाथ मल्लाह
11. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
12. श्री सत्यदेव पचौरी
13. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
14. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
15. श्री अरुण कुमार सागर
16. श्री एम. सेल्वराज
17. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
18. श्री अतुल कुमार सिंह
19. श्री प्रदीप कुमार सिंह
20. श्री उदय प्रताप सिंह
21. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

राज्य सभा

22. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
23. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
24. डॉ. अनिल जैन
25. श्री एम.वी. श्रेयम्स कुमार
26. श्री जयप्रकाश निषाद
27. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
28. श्री अरुण सिंह
29. श्री विजय पाल सिंह तोमर
30. श्री के. वेंलेल्वना
31. रिक्त

सचिवालय

1.	श्री विनोद कुमार त्रिपाठी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री एन.के. झा	-	निदेशक
3.	श्री सी. कल्याणसुन्दरम	-	अपर निदेशक
4.	सुश्री सोनिया सांखला	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत किए जाने पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी यह चौतीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करती हूँ।

2. समिति ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' की जांच की जिसे 08 फरवरी, 2022 को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

3. समिति ने 25 फरवरी, 2022 को हुई अपनी बैठक में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. समिति ने दिनांक 16.03.2022 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकार किया।

5. समिति अपने समक्ष लिखित उत्तर और अन्य जानकारी प्रस्तुत करने तथा विचार व्यक्त करने के लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहती है।

6. समिति अपने से जुड़े लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा इसे प्रदान की गई महत्वपूर्ण सहायता के लिए भी उनकी सराहना करती है।

7. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
16 मार्च , 2022
25 फाल्गुन, 1943 (शक)

कनिमोझी करुणानिधि
सभापति
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

अध्याय – एक

प्रस्तावना

भारतीय औषध उद्योग- एक विहंगावलोकन

1.1 भारतीय औषध उद्योग विश्व स्तर पर अपनी जेनरिक दवाओं और कम लागत वाले टीकों के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह एक उद्योगी क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हुआ है, वर्तमान में भारतीय औषधीय क्षेत्र मात्रा के हिसाब से औषधीय उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। पूर्व नौ वर्षों में, भारतीय औषधीय क्षेत्र में 9.43 % की सीएजीआर में लगातार वृद्धि हुई है। औषधीय सेक्टर लगातार ट्रेड सरप्लस कमा रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल औषधीय निर्यात ₹ 49436 करोड़ रुपए (6.66 बिलियन अमरीकी डालर) के कुल औषधीय आयात के मुकाबले 180555 करोड़ रुपए (24.35 बिलियन अमरीकी डालर) था, जिससे 17.68 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार अधिशेष उत्पन्न हुआ। सितंबर 2021 के अंत तक कुल औषधीय निर्यात ₹ 87864 करोड़ रुपए (11.88 बिलियन अमरीकी डालर) हो गया है, जबकि कुल आयात ₹ 33636 करोड़ रुपए (4.66 बिलियन अमरीकी डॉलर) है, जिससे ₹ 54228 करोड़ रुपए (7.22 बिलियन अमरीकी डालर) का व्यापार अधिशेष उत्पन्न हुआ है। भारतीय औषधीय उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में जेनेरिक दवाएं, ओटीसी दवाएं, बल्क दवाएं, टीके, अनुबंध अनुसंधान और निर्माण, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स शामिल हैं।

भारतीय औषध उद्योग भी विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) के अनुरूप औषधीय संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। वैश्विक एपीआई उद्योग में लगभग 8 % योगदान देने वाले 500 एपीआई निर्माता हैं। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जिसकी वैश्विक आपूर्ति में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है और यह 60 चिकित्सीय श्रेणियों में 60000 विभिन्न जेनेरिक ब्रांडों का निर्माण करता है। भारत में सस्ती एचआईवी उपचार तक पहुंच चिकित्सा में सबसे बड़ी सफलता में से एक है। भारत दुनिया में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। कम कीमत और उच्च गुणवत्ता के कारण भारतीय दवाओं को दुनिया भर में पसंद किया जाता है, जिसके कारण हमारा देश " दुनिया की फार्मेसी " बना हुआ है।

(मौजूदा कीमतों पर औषध क्षेत्र की वृद्धि)

मद / वर्ष	आउटपुट (रुपए करोड़ में)	वृद्धि दर
2015-16	3,03,352	16.56
2016-17	3,21,472	5.97
2017-18	3,28,677	2.24
2018-19	3,98,852	21.35
2019-20	3,89,094	-2.45
2020-21*	4,27,109	9.77

*वर्ष 2013-14 से 2019-20 के दौरान 9.77 % उत्पादन की प्रवृति वृद्धि दर के (सीएजीआर) पर अनुमानित।

1.2 <u>औषधीय उद्योग का प्रमुख प्रत्यय पत्र</u>

1. भारत 200 से अधिक देशों को जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराता है।
2. 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से 8 भारत से हैं।
3. अत्यधिक विनियमित बाजारों में 55 % से अधिक निर्यात
4. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) पूर्व - पात्रता प्राप्त एपीआई का 90 % भारत से प्राप्त किया जाता है
5. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैक्सीन आवश्यकताओं का 65-70 % भारत से प्राप्त किया जाता है
6. यूएसएफडीए द्वारा अनुमोदित साइटों की संख्या : 741 (अगस्त 2021 तक)
7. भारतीय कंपनियों द्वारा सुरक्षित एएनडीए बाजार प्राधिकरणों की संख्या : 4346 (दिसंबर 2020 तक)

<u>औषध विभाग</u>

1.3 औषध विभाग को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 1 जुलाई, 2008 में सृजित किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में औषध क्षेत्र के विकास पर और अधिक ध्यान और जोर देना तथा दवाओं के मूल्य निर्धारण और वहनीय मूल्यों पर इसकी उपलब्धता, अनुसंधान एवं विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और औषध क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से जुड़े विभिन्न जटिल मुद्दों को विनियमित करना था जिसके लिए अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करना अपेक्षित था।

<u>विजन और मिशन</u>

1.4 विभाग के पास गुणवत्तायुक्त दवाइयों के लिए वैश्विक लीडर के रूप में भारतीय फार्मा को संवधीन करना तथा देश में दवाइयों तथा चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुगमयता तथा वहनीयता सुनिश्चित करने का विजन है। मिशन इस प्रकार है :-

- औषध क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए निवेश
- महत्वपूर्ण एपीआई एवं चिकित्सा उपकरणों में मेक इन इंडिया बनाना
- उद्योग का विस्तार, कुशलता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार
- स्थिर एवं प्रभावी मूल्य विनियमन और
- जन औषधि योजना का विस्तार करते हुए जेनेरिक दवाइयां

<u>विभाग का अधिदेश</u>

1.5 औषध विभाग को निम्नलिखित कार्य आवंटित किए गए हैं:

1. ड्रग्स और औषध और चिकित्सा उपकरण, विशेष रूप से अन्य विभागों को आवंटित किए गए उपकरणों को छोड़कर
2. औषध क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी, अनुप्रयुक्त और अन्य अनुसंधान का प्रचार और समन्वय
3. मूल्य नियंत्रण/निगरानी के संबंधित कार्यों सहित राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित सभी मामले
4. राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान से संबंधित सभी मामले
5. औषध क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई)
6. भारत और विदेशों में संबंधित क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य सहित औषध अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1.6 **<u>विभाग के तहत संगठन</u>**

- राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), एक संलग्न कार्यालय
- 7 राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर)

(i) नाईपर, मोहाली, पंजाब

(ii) नाईपर, हैदराबाद, तेलंगाना

(iii) नाईपर, अहमदाबाद, गुजरात

(iv) नाईपर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

(v) नाईपर, गुवाहाटी, असम

(vi) नाईपर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश

(vii) नाईपर, हाजीपुर, बिहार

- 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-

(i) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)

(ii) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल)

(iii) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

(iv) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)

(v) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल)

- औषध एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई)

1.7 <u>विभाग की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं</u>

- राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर)
- औषधि उद्योग के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना

क. भेषज प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)

ख. सामान्य सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)

ग. औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस)

- अम्ब्रेला योजना: औषध उद्योग का विकास

क . उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं

(i) महत्वपूर्ण केएसएम/डीआई/एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना

(ii) चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना

(iii) औषध के लिए पीएलआई योजना

(ख) पार्क योजनाओं को बढ़ावा देना

(i) बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देना

(ii) चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना

- प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)
- उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम)

1.8 **2022-23 के लिए विभाग की योजनाएं**

- बुनियादी ढांचे के साथ नाईपर का सुदृढ़ीकरण
- बल्क ड्रग पार्क योजना के तहत 3 राज्यों का चयन (3000 करोड़ रुपये का परिव्यय)।
- एसपीआई की योजना के पीटीयूएएस/एपीआई-सीएफ की उप योजनाओं के तहत लाभार्थियों का चयन।
- तीन पीएलआई योजनाओं और चिकित्सा उपकरण पार्क योजना के कार्यान्वयन की निगरानी।
    - पीएलआई योजना के तहत रैखिक त्वरक (लिनैक), सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्स-रे, कैथ लैब, पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (पीईटी) सिस्टम, सिंगल फोटॉन एमिशन टोमोग्राफी (एसपीईसीटी), मैमोग्राफी सी-आर्म, आदिजैसे चिकित्सा उपकरणों की घरेलू विनिर्माण क्षमता में वृद्धि की निगरानी।
    - बल्क ड्रग्स के उत्पादन की निगरानी करना, जिसके लिए 80% तक निर्भरता है। इन महत्वपूर्ण थोक दवाओं में पैरा एमिनो फिनोल, एटोरवास्टेटिन, सल्फाडियाज़िन, लेवोफ़्लॉक्सासिन, ओल्मेसार्टन, लोपिनवीर, एसाइक्लोविर, विटामिन बी 6, वाल्सर्टन, लोसार्टन आदि शामिल हैं।

- **राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2022:** आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए उदयमान चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
- फार्मा मेडटेक में आरएंडडी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नीति लाना।
- **मेडटेक सेक्टर के अनुपालन बोझ को कम करना:** क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी में सुधार के दृष्टिकोण के साथ बड़े पैमाने पर अनुपालन बोझ में कमी लाना।
- घरेलू टीके के उत्पादन के लिए कच्चे माल के निर्माण के लिए समर्थन

1.9 **रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) की विस्तृत अनुदानों की मांगों (2022-23) को 08 फरवरी, 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।औषध विभाग को मांग संख्या 7 के तहत 2244.15 करोड़ रुपये का बजट अनुमान (बीई) प्रस्तुत किया गया है। समिति ने वर्ष 2022-23 के लिए विभाग की अनुदानों की मांगों की विस्तृत जांच की है। समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में एक अलग अध्याय में दिया गया है। समिति उम्मीद करती है कि विभाग विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को**

समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए धन के उचित और समय पर उपयोग के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। समिति यह भी अपेक्षा करती है कि विभाग समिति की सिफारिशों पर शीघ्रता से कार्रवाई करे और इस प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तारीख से तीन महीने के भीतर प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करे।

अध्याय दो

अनुदानों की मांगों की जांच (2022-23) [मांग संख्या 7]

प्रस्तावित और स्वीकृत बजट अनुमान आवंटन (2022-23)

2.1 औषध विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए 10383.26 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का प्रस्ताव रखा। विभाग के लिए वर्ष के लिए 2244.15 करोड़ रुपये का सकल बजटीय आवंटन किया गया है। इसमें से रु. 36.35 करोड़ औषध विभाग और एनपीपीए दोनों के लिए सचिवालय सामान्य सेवाओं से संबंधित केंद्र के व्यय (गैर-योजना) के लिए है (43.97 करोड़ रुपये के केंद्र के व्यय के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान की तुलना में)। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन रु. 2202.50 करोड़ (2313.02 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट अनुमान की तुलना में) और रु. 5.30 पीएसयू को सहायता (ऋण) के लिए (8026.78 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट अनुमान की तुलना में)। वर्ष 2022-23 के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के रूप में प्रस्तावित और अनुमोदित परिव्यय का योजना/गैर-योजना विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए में)

योजना/गैर-योजना का नाम	**बीई 2022-2023 प्रस्तावित**	**बीई 2022-23 स्वीकृत**
(1) सचिवालय आर्थिक सेवाएं एमएच 3451 (गैर-योजना)	20.40	18.56
(2) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) एमएच 2852	23.05	17.79
कुल गैर-योजना	**43.45**	**36.35**
(3) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संसथान (नाईपर) एमएच 2552	74.00	35.00
राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संसथान (नाईपर) (नाईपर) एमएच 2852	366.00	360
कुल नाईपर (एमएच 2552 + एमएच 2852)	**440.00**	**395.00**
(4.) जन औषधि योजना एमएच 2552	3.00	7.20
जन औषधि योजना एमएच 2852	97.00	65.30
कुल जन औषधि (एमएच 2552+ एमएच 2852)	**100.00**	**72.50**
(5) औषध उद्योग का विकास एमएच 2852		
5.1 औषध संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस)	2.00	2.00
5.2 क्लस्टर विकास	36.00	36.00
5.3 औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)	100.00	62.00
5.4 साझा सुविधा केंद्र के लिए बल्क ड्रग उद्योग को सहायता	900.00	900.00
5.5 साझा सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता	120.00	120.00
5.6 औषध क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास	0.01	0.01

		(करोड़ रूपए में)
योजना/गैर-योजना का नाम	**बीई 2022-2023 प्रस्तावित**	**बीई 2022-23 स्वीकृत**
5.7 ड्रग मध्यवर्ती और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	390.00	390.00
5.8 चिकित्सा उपकरण के लिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	216.00	216.00
5.9 औषध उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना	3.00	3.00
कुल डीपीआई एमएच 2852	1767.01	1728.99
डीपीआई उत्तर पूर्व क्षेत्र एमएच 2552	0.01	0.01
कुल डीपीआई (एमएच 2852 + एमएच 2552)	1767.02	1729.00
(6.) उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी		
परियोजना निगरानी संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) को सहायता	5.00	5.00
सीएपीपीएम के लिए विज्ञापन और प्रचार	1.00	1.00
कुल सीएपीपीएम (एमएच 2852)	6.00	6.00
(7) पीएसयू को सहायता		
इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)	6988.50	4.00
हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)	1038.24	1.26
बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स (बीसीपीएल)	0.01	0.01
बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड (बीआईएल)	0.01	0.01
राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल)	0.01	0.01
स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एसएसपीएल)	0.01	0.01
पूंजी अनुभाग कुल (एमएच 6857)	**8026.78**	**5.30**
कुल योग	**10383.26**	**2244.15**

एमएच 3451 – सचिवालय आर्थिक सेवाओं के लिए प्रमुख शीर्ष (गैर-योजना)।

एमएच 2852 – एनपीपीए, नाईपर, जन औषधि योजनाओं, औषध उद्योग विकास (डीपीआई), सीएपीपीएम के लिए प्रमुख शीर्ष।

एमएच 2552 – उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रमुख शीर्ष - नाईपर, जन औषधि योजनाएं, डीपीआई।

एमएच 6857 – पीएसयू योजना को सहायता के लिए प्रमुख शीर्ष।

2.2 आगामी वर्ष 2022-23 के लिए उपरोक्त सकल और योजनावार प्रस्तावित और अनुमोदित बजट अनुमान (ब.अ.) आबंटन की जांच करने पर समिति ने पाया कि विभाग के लिए सकल बजट आबंटन 2244.15 करोड़ रुपये है जो कि औषध विभाग द्वारा प्रस्तावित राशि से लगभग 4.6 गुना कम है। इसके

अतिरिक्त समिति ने पूछा कि क्या विभाग वास्तविक आबंटन 2022-23 के दौरान विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त है; इस संबंध में औषध विभाग ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

"नाईपर: नाईपर की योजना के लिए बजट अनुमान 2022-23 में 440.00 करोड़ रुपये मांगे गए थे। व्यय विभाग ने बजट अनुमान 2022-23 में 395.00 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। व्यय विभाग द्वारा आबंटित निधि का उपयोग रायबरेली, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद और हाजीपुर में नाईपर परिसरों के विनिर्माण के लिए और उपकरणों की खरीद/संस्थान के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए भी किया जाएगा।

औषध उद्योग का विकास:

(रुपये करोड़ में)

योजना का नाम	ब.अ. 2022-2023 प्रस्तावित	ब.अ. 2022-23 स्वीकृत
औषध संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस)	2.00	2.00
क्लस्टर विकास (एपीआईसीएफ)	36.00	36.00
औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)	100.00	61.98
महत्वपूर्ण केएसएम/औषधि मध्यवर्ती और एपीआई के घरेलू विविनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	390.00	390.00
चिकित्सा उपकरण के लिए घरेलू विविनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	216.00	216.00

पीटीयूएएस को छोड़कर अन्य उपर्युक्त योजनाओं के लिए प्रस्ताव के अनुसार निधि स्वीकृत है। पीटीयूएएस के योजना दिशानिर्देशों को ईएफसी अनुमोदन के अनुसार संशोधित किया जा रहा है। यदि क्रियान्वयन के दौरान निधि की कमी होती है तो अनुपूरक अनुदानों की मांगों के समय अतिरिक्त निधि की मांग की जाएगी।

जन औषधि योजना: विभाग ने पीएमबीजेपी के लिए बजट अनुमान-2022-23 के रूप में 100.00 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की है। वर्ष के लिए लक्ष्य 1,000 नए केंद्र खोलने और उत्पाद की टोकरी को 1,800 दवाइयों और 280 सर्जिकल तक बढ़ाने का है। हालांकि, बजट अनुमान 2022-23 के तहत केवल 72.50 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। निधियों के कम आबंटन से योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा आएगी। विभाग सं.अ. चरण पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त धनराशि की मांग करेगा।

बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा: बजट अनुमान 2022-23 में बल्क औषध पार्कों को संवर्धन के लिए योजना के तहत 900 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। इस राशि का उपयोग अनुदान सहायता के रूप में साझा सुविधा केंद्र (सीआईएफ) के विनिर्माण के लिए 3 चयनित राज्यों में से प्रत्येक को 300 करोड़ रुपये की पहली किस्त देने के लिए किया जाएगा।

एनपीपीए: 29.06 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय के विरुद्ध एनपीपीए के लिए 23.79 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इसका प्रभाव योजना के सुदृढ़ीकरण और प्रभावी क्रियान्वयन पर पड़ेगा। विभाग सं.अ. चरण पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त धनराशि की मांग करेगा।

पीएसयू अनुभाग: पीएसयू डिवीजन ने विभिन्न बकाया देनदारियों जैसे विभिन्न बैंकों की सुरक्षित देनदारियों और आईडीपीएल और एचएएल के संबंध में अन्य असुरक्षित देनदारियों को पूरा करने के लिए 8026.78 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया क्योंकि इसे कैबिनेट की सिफारिश से वर्ष 2019 में प्रदान किए गए 330.35 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन के तहत कवर नहीं किया गया था।

तथापि, प्रस्तावित राशि के विरूद्ध मात्र 5.30 करोड़ रुपये, आकस्मिक व्यय, अदालती मामलों आदि को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि बीई 2022-23 में प्रदान की गई है।

2.3 समिति ने यह भी पाया कि आगामी वर्ष 2022-23 के लिए बजट आबंटन 2021-22 में संशोधित अनुमान (आरई) चरण में 823.11 करोड़ रुपये से लगभग 2.7 गुना बढ़कर वर्ष 2022-23 के लिए ब.अ. चरण पर 2244.15 करोड़ रुपये हो गया है। इस संबंध में समिति ने विभाग से पूछा कि क्या विभाग आगामी वर्ष 2022-23 के लिए अनुमोदित बजट अनुमान चरण पर विभाग के लिए आबंटित बढ़ी हुई निधि को अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए पर्याप्त मानता है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में योजना-वार विवरण प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है:

"नाईपर: नाईपर के परिसरों के विनिर्माण में तेजी लाने के लिए सं.अ. चरण पर अतिरिक्त निधि की मांग की जाएगी।

औषध उद्योग का विकास:

निम्नलिखित योजनाओं के सं.अ. 2021-22 और बजट अनुमान 2022-23 का विवरण तालिका में दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

योजना का नाम	सं.अ. 2021-22	ब.अ. 2022-23
औषध संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस)	2.00	2.00
क्लस्टर विकास (एपीआईसीएफ)	15.61	36.00
औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)	0.01	62.00
महत्वपूर्ण केएसएम/औषधि मध्यवर्ती और एपीआई के घरेलू विविनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	2.79	390.00
चिकित्सा उपकरण के लिए घरेलू विविनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	3.31	216.00

संशोधित अनुमान 2021-22 की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में आबंटित बढ़ी हुई राशि योजना के अधिदेश को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

जन औषधि योजना: पीएमबीजेपी के तहत बजट अनुमान 2022-23 के लिए 100 करोड़ रुपये के अनुरोध की तुलना में 72.50 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। निधि पर्याप्त नहीं है और निधियों का कम आबंटन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करेगा। विभाग सं.अ. चरण पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त धनराशि की मांग करेगा।

एनपीपीए: एनपीपीए के लिए आगामी वर्ष 2022-23 के लिए बजट आबंटन 23.79 करोड़ रुपये है, जो कि सं.अ. 2021-22 (18.51 करोड़ रुपये) से अधिक है, लेकिन अगले वर्ष के लिए प्रस्तावित परिव्यय से कम है। इसका प्रभाव योजना के सुदृढ़ीकरण और प्रभावी क्रियान्वयन पर पड़ेगा। विभाग आरई स्तर पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधियों की मांग करेगा।

2.4 केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अधिदेश को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान बजट अनुमान चरण पर 2202.50 करोड़ रुपये के प्रभावी निधि उपयोग की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित योजना-वार विवरण प्रस्तुत किया:

"नाईपर: विभाग ने कोलकाता, रायबरेली और हाजीपुर स्थित नाईपर के परिसरों के विनिर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी का चयन किया है। निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए संस्थान और विभाग चरण पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

औषध उद्योग का विकास:

योजनाओं के तहत आबंटित निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नानुसार पूर्ण रूप से किया जाएगा:

पीपीडीएस: वित्त वर्ष 2021-22 में 5 अध्ययनों को मंजूरी दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में आंशिक किस्तें जारी की जानी हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में नए अध्ययन पर विचार किया जाएगा। विभिन्न कार्यक्रम, संगोष्ठी, सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वार्षिक भारतीय फार्मा/चिकित्सा उपकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है।

एपीआईसीएफ: आईपीआरएफ और केआईडीसी की पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आंशिक निधि जारी की जानी है। 2 परियोजनाएं जिन्हें सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, अंतिम मंजूरी के लिए विचाराधीन हैं। परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अंतिम मंजूरी के लिए विचार किया जाएगा और उन्हें धनराशि जारी की जाएगी। पीडीआईएल और एनपीसीसीएल को परामर्श शुल्क भी जारी किया जाना है।

पीटीयूएएस: पीटीयूएएस की योजना दिशानिर्देशों को ईएफसी अनुमोदन के अनुसार संशोधित किया जा रहा है। स्वीकृत होने के पश्चात, पात्र आवेदनों पर वित्त वर्ष 22-23 में विचार किया जाएगा।

बल्क औषधि के लिए पीएलआई योजना: इस योजना के तहत पात्र उत्पादों की बिक्री पर अनुमोदित आवेदकों को प्रोत्साहन जारी किया जाना है।

चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना: योजना के तहत पात्र उत्पादों की बिक्री पर अनुमोदित आवेदकों को प्रोत्साहन जारी किया जाना है।

जन औषधि योजना: विभाग ने कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) को स्टोर खोलने, उत्पाद टोकरी के विस्तार आदि के लिए लक्ष्य दिए हैं। पीएमबीआई द्वारा योजना की नियमित निगरानी द्वारा निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पीएमबीआई की कार्यकारी परिषद और गवर्निंग काउंसिल द्वारा योजना के प्रदर्शन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर विभाग के सचिव के चरण पर, साथ ही साथ रसायन और उर्वरक मंत्री के चरण पर प्रदर्शन की समीक्षा करने और अपने अधिदेश की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवद्यिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा: बजट अनुमान 2022-23 में बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन के लिए योजना के तहत 900 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। इस राशि का उपयोग अनुदान सहायता के रूप में साझा सुविधा केंद्र (सीआईएफ) के विनिर्माण के लिए 3 चयनित राज्यों में से प्रत्येक को 300 करोड़ रुपये की पहली किस्त देने के लिए किया जाएगा। योजना के तहत योजना संचालन समिति योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और पहली किस्त के उपयोग के विरुद्ध राज्य कार्यान्वयन एजेंसी से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद बची हुई किस्तों को जारी किया जाएगा।

एनपीपीए: योजना के कार्यान्वयन की निगरानी एनपीपीए के स्तर पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रगति की समीक्षा करने और विभिन्न वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभाग के सचिव के चरण पर साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

<u>योजना-वार वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य(2022-23)</u>

2. 5 विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सभी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए निर्धारित योजना-वार वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"नाईपर का वास्तविक लक्ष्य 2022-23:

नाईपर का नाम	विनिर्माण	शोध पत्र प्रकाशन	दायर किए जाने वाले पेटेंट	छात्र प्रवेश
अहमदाबाद	100%	220	14	205
हाजीपुर	30%	90	2	110
हैदराबाद	30%	200	9	215
गुवाहाटी	100%	140	8	185
रायबरेली	30%	115	6	135
कोलकाता	30%	115	3	110
मोहाली	-	220	13	340
कुल		1100	55	1300

नाईपर का वित्तीय लक्ष्य 2022-23:

व्यय विभाग ने बजट अनुमान 2022-23 में 395.00 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। इसका उपयोग मौजूदा 7 नाईपर के उन्नयन के लिए किया जाएगा।

औषध उद्योग का विकास: पीपीडीएस के तहत, विकसित होती कोविड स्थिति के कारण, अब तक कोई वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि अधिकांश सम्मेलन वस्तुतः आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि, पिछले वर्षों के रुझान के आधार पर, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 15-20 सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशालाएं और 7-10 अध्ययन आयोजित किए जाने की उम्मीद है।

एपीआईसीएफ के तहत, पहले से ही दो परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया है और अंतिम अनुमोदन के लिए विचाराधीन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अंतिम अनुमोदन के लिए इन परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा और निधियों को जारी किया जाएगा। नई दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में पांच परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

पीटीयूएएस : पीटीयूएएस की योजनाओं के दिशा-निर्देशों को ईएफसी अनुमोदन के अनुसार संशोधित किया जा रहा है। स्वीकृत होने के बाद, पात्र आवेदनों पर वित्त वर्ष 22-23 में विचार किया जाएगा।

बल्क औषधि के लिए पीएलआई योजना : योजना का वास्तविक और वित्तीय परिव्यय पहले से ही निर्धारित है और योजना के तहत पात्र उत्पादों की बिक्री पर अनुमोदित आवेदकों को प्रोत्साहन राशि जारी की जानी है। अब तक कुल 49 आवेदकों को स्वीकृत किया जा चुका है। आवेदन विंडो के तीसरे दौर के लिए सूचना जारी की गई है जिसकी अंतिम तिथि 31.3.2022 है।

चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना: योजना का वास्तविक और वित्तीय परिव्यय पहले से ही निर्धारित है और योजना के तहत पात्र उत्पादों की बिक्री पर अनुमोदित आवेदकों को वर्षवार प्रोत्साहन जारी किया जाना है। कुल 21 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है।

साझा सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता:

वास्तविक लक्ष्य- एसएससी द्वारा अनुमोदित डीपीआर में वास्तविक वितरणयोग्य के अनुसार 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों में साझा बुनियादी सुविधा का सृजन ।

वित्तीय लक्ष्य-जारी की गई वित्तीय राशि में डीओपी द्वारा अनुदान और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आनुपातिक योगदान और दूसरी किस्त के रूप में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क राज्यों को 120 करोड़ रुपये जारी करना शामिल होगा।

जन औषधि योजना : वर्ष 2022-23 के लिए नए 1000 केंद्र खोलने का लक्ष्य है और उत्पाद की बास्केट को 1,800 दवाइयों और 280 सर्जिकल तक बढ़ाना है । साथ ही 775 करोड़ रुपये की बिक्री का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

बल्क औषध पार्क का संवर्धन: वास्तविक लक्ष्य- एसएससी द्वारा अनुमोदित डीपीआर में वास्तविक वितरण के अनुसार 3 बल्क औषधि पार्कों में सामान्य आधारभूत संरचना सुविधा का विनिर्माण। **वित्तीय लक्ष्य**-जारी की गई वित्तीय राशि में डीओपी द्वारा अनुदान जारी करना और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आनुपातिक योगदान और डीओपी द्वारा 3 राज्यों को अनुदान सहायता की पहली किस्त के रूप में 900 करोड़ रुपये जारी करना शामिल होगा।

एनपीपीए: एनपीपीए उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) योजना लागू करता है, जिसके दो घटक हैं। पहला राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मूल्य निगरानी संसाधन इकाइयां (पीएमआरयू) खोलना है। पीएमआरयू पहले ही 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जा चुके हैं और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दो (2) और पीएमआरयू स्थापित किए जाने वाले हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान छह (6) नए पीएमआरयू स्थापित करने का लक्ष्य है। ये पीएमआरयू जमीनी स्तर पर परिकल्पित सूचना संग्रहण तंत्र और जन जागरूकता पैदा करने के साथ एनपीपीए के प्रमुख योगदानकर्ता भागीदार हैं, ताकि औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) (समय-समय पर संशोधित) के लाभ जमीनी चरण तक पहुंच सकें। योजना का दूसरा घटक विज्ञापन और प्रचार अभियानों के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करना है ताकि विशेष रूप से हाल के निर्णयों/कार्यों और सामान्य रूप से एनपीपीए की गतिविधियों के बारे में जनता को जागरूक किया जा सके। वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

योजना का नाम	बजट अनुमान 2022-23	वास्तविक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम)			
परियोजना निगरानी संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) को सहायता अनुदान-सहायता	5.00	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में छह (6) नए पीएमआरयू स्थापित करने के लिए	5.00
सीएपीपीएम का विज्ञापन और प्रचार	1.00	बाहरी प्रचार (होर्डिंग्स, एलईडी स्क्रीन आदि), प्रिंट मीडिया (समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पैम्फलेट आदि), इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (रेडियो जिंगल, टेलीफिल्म्स आदि) और सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक आदि) के माध्यम से विज्ञापन और प्रचार अभियान चलाना। साथ ही एनपीपीए के कामकाज के विभिन्न विषयों/क्षेत्रों पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करना।	1.00

2.6 <u>औषध क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास</u>:

प्रमुख शीर्ष 2852 के तहत, "औषध क्षेत्र में अनुसंधान और विकास" के लिए केवल 1 लाख रुपये का टोकन आवंटन किया गया है। अनुदानों की मांगों 2022-23 पर औषध विभाग के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के दौरान, समिति ने पाया कि सरकार को औषध क्षेत्र और विशेष रूप से चिकित्सा उपकरण उद्योग में अनुसंधान और विकास में बहुत अधिक राशि देनी होगी। इस संबंध में सचिव, औषध विभाग ने समिति को इस प्रकार बताया" :

" एक विभाग के रूप में हम यह भी मानते हैं कि फार्मास्युटिकल को विकास के अगले स्तर तक ले जाने और वैश्विक बाजार में इस क्षेत्र के मूल्य को बढ़ाने के लिए, हमें अनुसंधान और विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। हम काफी विचार-विमर्श के बाद एक नीति लेकर आए हैं। यह चर्चा के चरण में है ... यह औषध और चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और नवाचार को उत्प्रेरित करने के लिए नीति है। एक प्रारूप मंत्रिमंडल नोट पहले ही परिचालित किया जा चुका है। हमें उद्योग के साथ-साथ विभागों दोनों से व्यापक टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। हम इसे अंतिम रूप देना चाहते हैं।

अध्याय तीन

बजट उपयोग की प्रवृत्ति (2019-20 से 2021-22)

3.1 वित्तीय अवधि 2019-20 से 2021-22 के दौरान विभिन्न योजना/गैर-योजना शीर्षों पर औषध विभाग द्वारा किए गए बजट अनुमान (ब.अ.), संशोधित अनुमान (सं..अ.) और वास्तविक व्यय और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ब.अ. आवंटन का विवरण निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

		2019-20			2020-21			2021-22			2022-23
	राजस्व भाग	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक 11.02.2022 की स्थिति के अनुसार	ब.अ.
1	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	14.15	14.67	13.69	15.50	14.45	14.40	16.73	15.98	13.73	18.56
2	राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)	12.00	11.48	10.61	11.90	12.90	12.74	14.80	14.01	12.39	17.79
3	राष्ट्रीय औषधी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)	150.00	160.00	160.01	202.45	333.83	333.83	234.34	372.00	230.34	395.00
4	औषध उद्योग का विकास	8.30	3.49	3.29	42.05	34.05	20.44	124.42	200.00	56.73	1729.00
5	जन औषधि योजना	42.00	35.51	35.51	50.00	65.00	65.00	65.00	68.50	56.30	72.50
6	उपभोक्ता जागरूकता प्रचार एवं मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम)	4.00	4.00	3.99	4.50	3.00	2.60	6.00	4.50	1.89	6.00
	फार्मास्यूटिकल के संबंध में बट्टे खाते डाले गए/हानियों का अधित्याग आईडीपीएल के संबंध में (889.50 करोड़ रुपए) बीसीपीएल (193.71	--	--		--						

	करोड़)										
7	पूंजीगत भाग										
	पीएसयू को सहायता										
	इंडियन ड्रग्स एंड औषध लि. (आईडीपीएल)	0.01	4.28	4.28	0.01	2.23	2.23	2.00	2.00	2.00	4.00
	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल)	0.01	280.16	280.16	4.74	2.52	2.52	4.09	122.09	122.09	1.26
	बंगाल कैमिकल्स एंड औषध लि. (बीसीपीएल)	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
	बंगाल इम्यूनिटी लि. (बीआईएल)	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
	राजस्थान ड्रग्स एंड औषध लि. (आरडीपीएल)	5.01	48.71	48.71	2.40	2.40	2.40	3.00	24.00	21.00	0.01
	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट औषध लि. (एसएसपीएल)	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
	कुल (पीएसयू को ऋण)	**5.06**	**#333.18**	**333.15**	**7.18**	**7.18**	**7.15**	**9.12**	**$148.12**	**139.70**	**5.30**
	कुल योग	**235.51**	**562.33**	**560.25**	**333.58**	**#470.41**	**456.16**	**470.41**	**823.11**	**516.47**	**2244.15**

वर्ष 2019-20 के दौरान : कैबिनेट ने दिनांक 17.07.2019 को सरकारी एजेंसियों को भूमि की बिक्री के लिए दिनांक 28.12.2019 के पहले के निर्णय को संशोधित करने के लिए मंजूरी दे दी और बदले में, पीएसयू की भूमि की बिक्री की अनुमति के डीपीई के संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 14.06.2018 के अनुसार दी गई है, जिसमें अन्य संस्थाओं को भूमि की बिक्री कर्मचारियों की देनदारियों (वेतन/वीआरएस)

(आईडीपीएल-रुपये 6.50 करोड़, एचएएल-280.15 करोड़ रुपये, आरडीपीएल-43.70 करोड़ रुपये) को पूरा करने के लिए फार्मा पीएसयू को ऋण के रूप में 330.35 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन प्रदान करना शामिल है। तथापि, वित्त मंत्रालय द्वारा 328.12 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें एचएएल को (280.15 करोड़ रुपये), आरडीपीएल को (43.70 करोड़ रुपये) और आईडीपीएल को (6.50 करोड़ रुपए में से केवल 4.27 करोड़ रुपये) की राशि जारी की गई थी क्योंकि कम निधि उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आरडीपीएल के कर्मचारियों के लंबित वेतन को पूरा करने के लिए 5.01 करोड़ रुपये का ब.अ. आबंटन जारी किया गया था।

वर्ष 2020-21 के दौरान: वित्त मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(20)/-बी(पीएंडए)/2019 दिनांक 04.01.2020 के माध्यम से औषध विभाग के लिए 333.58 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में विभाग के कुल आवंटन को बढ़ाकर 470.41 करोड़ रुपये कर दिया है। 136.83 करोड़ रुपये की अधिशेष धनराशि नाईपर (121.83 करोड़ रुपये) और जनऔषधि योजना (15.00 करोड़ रुपये) को आवंटित की गई थी। नाईपर के लिए न्यूनतम आवंटन 300.00 करोड़ रुपये और जन औषधि के लिए 65 करोड़ रुपये के रूप में दर्शाया गया था।

3.2 2021-22 के दौरान उपर्युक्त बजट अनुमानों (ब.अ.), संशोधित अनुमानों (सं.अ.) और 2021-22 के दौरान वास्तविक उपयोग को ध्यान में रखते हुए, समिति ने पाया कि सकल बजट उपयोग को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सं.अ. को ब.अ. स्तर पर 470.41 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 823.11 करोड़ रुपये कर दिया गया है, हालांकि 11.02.2022 की स्थिति के अनुसार वास्तविक उपयोग केवल 516.47 करोड़ रुपये है जो ब.अ. आवंटन से भी कम है। सं.अ. चरण में निधियों के पर्याप्त आवंटन के बाद निधियों के कम उपयोग के ठोस कारण पूछे जाने पर विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए एक-एक करके निम्नवत औचित्य बताया है:

"नाईपर: दूसरी अनुपूरक अनुदान मांगों 2021-22 के माध्यम से 100.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन्हें परिसरों के निर्माण के लिए नाईपर को जारी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 37.36 करोड़ रुपये संसद की मंजूरी के बाद 2021-22 की तीसरी और अंतिम अनुपूरक अनुदान मांगों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकते है और इसे आवश्यकतानुसार नाईपर को उनके सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए जारी किया जाएगा।

औषध उद्योग का विकास: बजट अनुमान 2021-22, सं.अ. 2021-22 और वास्तविक (यथा 11.2.2022 तक) का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

योजना का नाम	**सं. अ. 2021-22**	**सं. अ. 2021-22**	**वास्तविक (11.2.2022 तक)**
औषध संवर्धन और विकास योजना (पीपीडीएस)	2.00	2.00	1.01
क्लस्टर विकास (एपीआईसीएफ)	18.00	15.61	1.51
औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता स्कीम (पीटीयूएएस)	0.01	0.01	-
महत्वपूर्ण केएसएम/औषधि मध्यवर्ती और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)	2.79	2.79	0.22
चिकित्सा उपकरण के लिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)	2.36	3.31	2.125

पीपीडीएस: वित्त वर्ष 2021-22 में 5 अध्ययनों को मंजूरी दी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में आंशिक किस्तें जारी की जानी हैं। कुछ कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं। यह आशा की जाती है कि 31 मार्च, 2021 तक संपूर्ण सं. अ. का उपयोग किया जाएगा।

एपीआईसीएफ: चेन्नई फार्मा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन कंपनी (सीपीआईआईयूसी) को अंतिम किस्त, इंडुकेयर फार्मास्युटिकल्स एंड रिसर्च फाउंडेशन (आईपीआरएफ) को दूसरी किस्त और तीसरी किस्त काला अम्ब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (केआईडीसी) को जारी की जानी है। पीडीआईएल और एनपीसीसीएल को परामर्श शुल्क जारी किया जाना है।

पीटीयूएएस: केवल टोकन राशि आवंटित

बल्क ड्रग्स के लिए पीएलआई स्कीम: पीएमए को परामर्श शुल्क जारी किया जाना है। भुगतान रोक दिया गया था क्योंकि धन व्यावसायिक सेवा प्रमुख से जारी किया जाना है। अब प्रोफेशनल सर्विसेज हेड बनाया गया है

और फंड को फिर से विनियोजित किया गया है। उम्मीद है कि 31 मार्च, 2021 तक संपूर्ण सं.अ. का उपयोग किया जाएगा।

चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई स्कीम: पीएमए को परामर्श शुल्क जारी किया जाना है। भुगतान रोक दिया गया था क्योंकि धन व्यावसायिक सेवा प्रमुख से जारी किया जाना है। अब प्रोफेशनल सर्विसेज हेड बनाया गया है और निधियों को फिर से विनियोजित किया गया है। उम्मीद है कि 31 मार्च, 2021 तक संपूर्ण सं.अ. का उपयोग किया जाएगा।

जन औषधि योजना: 2021-22 के दौरान, पीएमबीजेपी के लिए ब.अ. स्तर पर 80.00 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। हालांकि, केवल ब.अ. स्तर पर 65.00 करोड़ रुपये और सं.अ. स्तर पर 68.50 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। विभाग ने अनुमान के अनुसार पीएमबीजेपी के कार्यान्वयन के लिए पीएमबीआई को पहले ही 56.30 करोड़ रुपये जारी किए हैं। शेष निधियों को जारी करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। विभाग तीसरे अनुपूरक के चरण में शेष निधियों की मांग के लिए इसे वित्त मंत्रालय के साथ भी उठाएगा।

बल्क ड्रग पार्क का संवर्धन : बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन योजना के तहत कुल 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभिन्न उपयोगिताओं के शुल्क, भूमि दर, राज्यों द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन, भूमि पंजीकरण शुल्क आदि के लिए सर्वोत्तम कोटेशन के आधार पर एक प्रतियोगिता पद्धति के माध्यम से सामान्य अवसंरचना सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तीन (3) राज्यों का चयन किया जाना है। प्रस्तावों के मूल्यांकन के दौरान, परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) ने राज्यों द्वारा उद्धृत उपरोक्त प्रस्तावित शुल्कों के संबंध में कुछ मुद्दों की पहचान की, जिससे एक विषम स्थिति प्रस्तुत हुई जो तुलनात्मक गुणों के मूल्यांकन के अनुकूल नहीं थी।

उल्लेख किए गए मुद्दों के मद्देनजर, प्रस्तावों के लिए स्कीम के दिशानिर्देशों के गुणात्मक उपयोग पर डीओपी को सलाह देने के लिए सीईओ नीति आयोग, सचिव डीओपी और डीपीआईआईटी और व्यय विभाग के प्रतिनिधियों के साथ एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। दिनांक 03.09.2021 को आयोजित अपनी पहली बैठक में, समिति ने विभाग को बल्क ड्रग पार्कों के तहत प्राप्त प्रस्तावों के लिए गुणात्मक फिल्टर लागू करने की सलाह दी। तदनुसार, राज्यों से कुछ अतिरिक्त जानकारी एकत्र की गई है जिसे आगे की कार्रवाई के लिए सलाहकार समिति को प्रस्तुत करने के लिए संसाधित किया जा रहा है।"

<u>वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का दूसरा बैच और विभाग की प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर इसका प्रभाव</u>

3.3 विभाग ने वर्ष 2021-22 के अनुदान के लिए **अनुदानों की अनुपूरक मांगों** के दूसरे बैच के तहत "औषध उद्योग के विकास" की विभिन्न उप-योजनाओं के तहत नए वस्तु शीर्ष "व्यावसायिक सेवाओं" के पुनर्विनियोग/खोलने के लिए नाईपर के लिए 400 करोड़ रुपये के नकद अनुपूरक और 0.08 करोड़ रुपये के सांकेतिक अनुपूरक की मांग की है और ब्यौरा निम्नानुसार है-

		(करोड़ रुपये में)
वित्त वर्ष 2021-22 की अनुदानों की पूरक मांग के लिए प्रस्तावित दूसरा बैच		**कारण**
राजस्व		
एमएच 2852 राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर)	400.00	परिसरों के निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न नाईपर के उपकरणों की खरीद।
औषध उद्योग का विकास **एमएच 2852**		**कारण**
(i) औषध संवर्धन विकास स्कीम (पीपीडीएस)	0.01	एक नया वस्तु शीर्ष "व्यावसायिक सेवाएं" खोलने के लिए
(ii) क्लस्टर विकास	0.01	एक नया वस्तु शीर्ष खोलने के लिए "व्यावसायिक सेवाएं" और जीआईए-सामान्य वस्तु शीर्ष से प्रस्तावित "व्यावसायिक सेवाओं" के लिए 1.00 करोड़ रुपये का पुन:-विनियोजित।
(iii) औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता स्कीम (पीटीयूएएस)	0.02	एक नया वस्तु शीर्ष "व्यावसायिक सेवाएं" खोलने के लिए।

(iv) सामान्य सुविधा केंद्र के लिए बल्क ड्रग उद्योग को सहायता	0.01	एक नया वस्तु शीर्ष "व्यावसायिक सेवाएं" खोलने के लिए और जीआईए-सामान्य वस्तु शीर्ष से प्रस्तावित "व्यावसायिक सेवाओं" के लिए 2.25 करोड़ रुपये का पुन: विनियोजन किया गया।
(v) साझा सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता	0.01	एक नया वस्तु शीर्ष "व्यावसायिक सेवा" खोलने तथा प्रस्तावित "व्यावसायिक सेवा" वस्तु शीर्ष (0.8968 करोड़ रुपये) के लिए "सामान्य सुविधा केंद्र के लिए बल्क औषधि उद्योग की सहायता" के जीआईए-सामान्य वस्तु शीर्ष से 33.99 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोजन और जीआईए-सामान्य वस्तु शीर्ष (33.0932 करोड़ रुपये)
(vi) महत्वपूर्ण केएसएम/औषध मध्यवर्ती और एपीआई के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	0.01	एक नया वस्तु शीर्ष"व्यावसायिक सेवा" खोलने के लिए और जीआईए-सामान्य वस्तु शीर्ष से प्रस्तावित "व्यावसायिक सेवा" वस्तु शीर्ष के लिए 2.57 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोजन।
(vii) चिकित्सा उपकरण के लिए घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम		एक नया वस्तु शीर्ष "व्यावसायिक सेवा" खोलने के लिए और जीआईए-सामान्य वस्तु शीर्ष से प्रस्तावित "व्यावसायिक सेवा" वस्तु शीर्ष के लिए 0.2350 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोजन।
(viii) औषध के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम		एक नया वस्तु शीर्ष "व्यावसायिक सेवाएं" खोलने के लिए

3.4 विभाग ने पाया कि वर्ष 2021-22 के दौरान, अनुदान की अनुपूरक मांग के दूसरे बैच के लिए, वित्त मंत्रालय ने नाईपर के लिए केवल 100 करोड़ रुपये के कुल नकद अनुपूरक राशि को मंजूरी दी है, जो विभाग द्वारा मांगे गए 400.00 करोड़ रुपये के प्रस्तावित नकद अनुपूरक अनुदान से कम है। इस संबंध में समिति ने वित्त मंत्रालय द्वारा अनुदान की अनुपूरक मांग के दूसरे बैच में इस कमी के कारण और वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न नाईपर के परिसरों के निर्माण, उपकरणों की खरीद पर आवंटन में इस भिन्नता से पड़ने वाले विशिष्ट प्रभाव के बारे में पूछा तो मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:

"चूंकि मार्च, 2018 में व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि पूरी तरह से आवंटित नहीं की गई थी, शेष राशि सहित विभाग ने नाईपर के परिसरों के निर्माण में तेजी लाने और उनकी प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांग 2021-22 के दूसरे बैच के माध्यम से 400.00 करोड़ रुपये की मांग की थी। हालांकि, व्यय विभाग ने उक्त गतिविधियों के लिए अनुदान की दूसरी अनुपूरक मांगों में केवल 100.00 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।इसके अतिरिक्त, व्यय विभाग ने नाईपर के लिए बजट अनुमान 2022-23 में 395.00 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जिसमें से 50% से अधिक फंड वित्त वर्ष 2022-23 के लिए परिसर के निर्माण/उपकरणों की खरीद के लिए निर्धारित किया गया है। विभाग नाईपर कोलकाता, हाजीपुर, रायबरेली और हैदराबाद में स्थायी परिसर का निर्माण शुरू करने की प्रक्रिया में है और नाईपर अहमदाबाद के परिसर का निर्माण जोरों पर चल रहा है। इसे पूरा करने के लिए सं.अ. चरण पर अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाएगी।"

3.5 इसके अतिरिक्त समिति ने पूछा कि 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग के दूसरे बैच के तहत "औषध उद्योग के विकास" की विभिन्न उप-योजनाओं के तहत नए वस्तु शीर्ष "पेशेवर सेवाएं" के पुनर्विनियोजन/शुरू करने के लिए मांगे गए 0.08 करोड़ रुपये के टोकन अनुपूरक में से चिकित्सा उपकरण के लिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और औषध के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए कितने रुपए प्रस्तावित और इन दोनों योजनाओं के लिए टोकन आवंटन क्यों नहीं किया गया, तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"विभाग से अनुरोध किया गया था कि वह चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना के तहत "पेशेवर सेवाएं" शीर्ष खोलें और दिनांक 5.11.2021 के पत्र के माध्यम से पूरक अनुदान मांग के दूसरे बैच के दौरान जीआईए जनरल से व्यावसायिक सेवाएं शीर्ष के लिए 0.2350 करोड़ रुपये का पुन: उपयोग करें। एमओएफ द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी। लेकिन उप-योजना यानी औषध के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना में मांग/प्रस्तावों की कमी के कारण, उक्त उप-योजना के तहत कोई निधि आवंटित नहीं की गई थी। वित्त वर्ष 2022-23 में "पेशेवर सेवाओं" के तहत 2.50 करोड़ रुपये और औषध के लिए पीएलआई योजना के लिए जीआईए-जनरल के तहत 0.50 करोड़ आवंटित किए गए हैं।"

3.6 समिति ने यह भी पूछा कि किस लक्ष्य और उद्देश्य के साथ "औषध उद्योग के विकास" की विभिन्न उप-योजनाओं के तहत नए वस्तु शीर्ष "पेशेवर सेवाएं" शुरू की गई है, तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"औषध उद्योग का विकास (योजना भाग):

पीपीडीएस: अध्ययन करने के लिए एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं। इन्हें व्यावसायिक सेवा शीर्ष से जारी किया जाना आवश्यक है।

एपीआईसीएफ, पीटीयूएएस, बल्क ड्रग्स के लिए पीएलआई स्कीम और चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई स्कीम: पीएमए को परामर्श शुल्क जारी करने के लिए, व्यावसायिक सेवा शीर्ष बनाया गया है।

बल्क ड्रग पार्क का संवर्धन: स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सेवाओं को किराए पर लेने के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी को भुगतान करने के लिए वस्तु शीर्ष "व्यावसायिक सेवाएं" बनाई गई है।

2019-20 से 2021-22 के दौरान योजनावार वित्तीय और वास्तविक परिणाम

क. राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर) - एमएच 2552 +एमएच 2852

3.7 भारतीय औषध उद्योग जेनेरिक दवाओं के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी रहा है। सरकार ने यह स्वीकार किया कि औषधी संबंधी खोज और विकास में अग्रणी रहने और फार्मूलेशनों में उत्कृष्टता प्राप्त करना जारी रखने के लिए मानव संसाधन/प्रतिभा पूल बहुत महत्वपूर्ण है। एसएएस नगर (मोहाली) में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर) को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था और इसे संसद, राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई थी और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया।

वर्ष 2007-08 के दौरान, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में मेंटर संस्थानो की मदद से छह नए नाईपर शुरू किए गए थे। इसके बाद वर्ष 2012 में मदुरै में एक नाईपर की मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री ने वर्ष 2015-16 के दौरान अपने बजट भाषण में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के लिए 3 नए नाईपर की घोषणा की। एक अन्य नाईपर बैंगलुरू, कर्नाटक में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

3.8 2019-20 से 2021-22 तक आउटपुट और परिणाम ढांचे के आधार पर नाइपरों के संबंध में अनुरूप परिणाम निम्नवत हैं-

संकेतक	2019-20		2020-21		2021-22	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
वित्तीय परिव्यय	150.00 करोड़ रुपए	160.01 करोड़ रुपए	202.45 करोड़ रुपए	333.82 करोड़ रुपए	372.00 करोड़ रुपए	204.34 करोड़ रुपए
औषध और अनुसंधान एवं विकास में विशेषज्ञों की संख्या	550	593#	750	676#	1100	750#
नाइपरों की संख्या जिसमें परिसरों एवं प्रयोगशाला सुविधाओँ का निर्माण शुरु हो गया है	दो (i) नाईपर-गुवाहाटी (ii) नाईपर-अहमदाबाद	(i) नाईपर-गुवाहाटी परिसर का निर्माण 80 प्रतिशत से अधिक पूरा हो गया है। (ii) नाईपर-अहमदाबाद परिसर के निर्माण के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है।	दो (i) नाईपर-गुवाहाटी (ii) नाईपर-अहमदाबाद	(i) नाईपर-गुवाहाटी परिसर का निर्माण 95 प्रतिशत से अधिक पूरा हो गया है। (ii) नाईपर-अहमदाबाद परिसर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।	दो (i) नाईपर-गुवाहाटी (ii) नाईपर-अहमदाबाद (ii) नाईपर, हैदराबाद/ कोलकाता/ रायबरेली/ हाजीपुर का निर्माण कार्य शुरू करना	(i) नाईपर-गुवाहाटी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। (ii) नाईपर-अहमदाबाद परिसर का निर्माण 10 प्रतिशत से अधिक पूरा हो गया है।
शोध प्रकाशनों की संख्या	600	598	750	622	900	455
दायर किए/ स्वीकृत किए गए पेटेंट की संख्या	25	23	35	46	45	13

छात्र उत्तीर्ण ***** 31.12.2021 तक

3.9 उपर्युक्त सारणीबद्ध आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में नाईपर के अनुसंधान प्रकाशनों की संख्या में गिरावट आ रही है। इसके कारण और नाइपरों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

"व्यय विभाग ने फरवरी, 2019 में 6 नाईपरों के लिए 156 संकाय पद सृजित किए हैं। उनके लिए भर्ती नियमों (आरआर) तैयार करने और वास्तविक भर्ती करने में कुछ समय लगा है और अब तक लगभग 70% पद भरे गए हैं, जबकि शेष पदों की प्रक्रिया चल रही है। नियमित संकाय न होने के कारण लक्ष्य प्राप्त करने में

मामूली कमी आयी हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि शैक्षणिक संस्थान कोविड लॉक डाउन/प्रतिबंधों के कारण अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर सके, इसलिए इसमें थोड़ी गिरावट आई है। इस मामले पर संस्थान/बोर्ड और विभाग स्तर पर भी नियमित रूप से विचार-विमर्श किया गया है, और सभी नाईपरों को शोध पत्रों के प्रकाशन के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। **15** फरवरी, **2022** तक नाईपर द्वारा 602 शोध पत्र प्रकाशित किए जा चुके हैं।"

3.10 समिति ने यह नोट किया कि आज की तारीख में नाईपर-अहमदाबाद परिसर का केवल 10% पूरा किया गया है। इस संबंध में समिति ने परिसर के निर्माण में धीमी प्रगति के कारण और परिसर के निर्माण के लिए आवश्यक कुल निधि के बारे में पूछा और यह पूछा कि किस वर्ष तक परिसर बनकर तैयार हो जाएगा। इस संबंध में विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"लगभग 20 % निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है और यह आशा है कि परिसर का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान पूरा होगा। ईएफसी ने परिसर निर्माण कार्य के लिए 103.88 कर रूपये अनुमोदित किए है। निर्माण कार्य की धीमी प्रगति वित्त मंत्रालय द्वारा निधियों का कम आवंटन किए जाने तथा कोविड से संबंधित मामलों के कारण भी थी।"

3. 11 समिति ने यह भी नोट किया कि बीसीपीएल कोलकाता में परिसर भवन के लिए नाइपर कोलकाता को 20.55 एकड़ भूमि प्रदान की गयी है। इस संबंध में, समिति यह जानना चाहती है कि क्या यह भूमि पर्याप्त है और सामान्य रूप से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होने के नाते सभी नाईपरों को बुनियादी तौर पर एक समान भूमि आवंटन प्रदान करने के लिए विभाग की कोई नीति है, के बारे में पूछा जिस पर विभाग ने निम्नवत लिखित उत्तर दिया:

"नाइपर, कोलकाता ने विभाग से नियमित परिसर के निर्माण के लिए न्यूनतम 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। नाइपर, कोलकाता को भूमि का प्रावधान उनके अनुरोध के अनुसार है और बीसीपीएल ने भी उस भूमि की अधिकता के रूप में पहचान की है।"

3.12 अनुदानों की मांगों 2022-23 के संबंध में औषध विभाग के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के दौरान, जब माननीय सभापति ने इस संबंध में बजटीय बाधाओं के साथ पांच नए नाइपर की स्थिति के बारे में पूछा, तब सचिव, औषध विभाग ने निम्नवत बताया:

"महोदया, आपने हमसे किसी भी बजटीय बाधा को भी उजागर करने के लिए कहा था। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास सात कार्यात्मक नाइपर हैं। इन सभी के पास भवन और अवसंरचना भी नहीं है और पांच नए नाइपर को सहमति दे दी गई है। इसलिए, हमने ईएफसी के तहत अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए 4,300 करोड़ रुपये की मांग की थी। यह हमारा प्रस्ताव था। हालांकि, ईएफसी में, चालू वर्ष में कोविड-19 से संबंधित व्यय आदि के कारण, हमें केवल 1,500 करोड़ रुपये की ही मंजूरी दी गई थी और ईएफसी ने यह कहा है कि 1,500 करोड़ रुपये का उपयोग मौजूदा नाइपर के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्य नाइपर पर आप कुछ समय बाद विचार कर सकते हैं। इस स्तर पर हमें समर्थन नहीं मिल रहा है। अब हमने अपने माननीय मंत्री जी को प्रस्ताव दिया है कि चूंकि ये पहले ही अनुमोदित किए जा चुके हैं और राज्य भी इसमें रुचि रखते हैं, इसलिए हमें इन नाइपर के लिए संसाधन खोजने के अन्य तरीकों पर विचार करना होगा। उन्होंने हरी झंडी दे दी है कि यद्यपि ईएफसी चालू वर्ष में प्रदान करने में सक्षम नहीं है, फिर भी हमें एक केंद्रीय प्रायोजित योजना या कुछ ऐसा देखने दें जहां हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं या इसे मॉड्यूलर दृष्टिकोण में कर सकते हैं। इसलिए, हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे कैसे पूरा किया जाए।"

3.13 इसके अलावा, विभाग के एक प्रतिनिधि ने नाइपर के समक्ष कार्यनिष्पादन और चुनौतियों को उजागर करते हुए, निम्नानुसार कहा:

" मूल रूप से, ये नाइपर स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की शिक्षा प्रदान करते हैं, और फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञताओं में अनुसंधान भी कराते हैं। शिक्षा मंत्रालय देश के सभी शैक्षिक संस्थानों को रैंक करता है और नवीनतम रैंकिंग के अनुसार 'फार्मेसी' श्रेणी के अंतर्गत तीन नाइपर, नामतः मोहाली, हैदराबाद और अहमदाबाद, शीर्ष 10 में शामिल हैं और अन्य दो नाइपर, अर्थात् रायबरेली और गुवाहाटी शीर्ष 20 में शामिल हैं। यह रैंकिंग सभी सार्वजनिक और निजी संस्थानों की है। इसलिए, 350 से अधिक संस्थानों ने इस रैंकिंग में भाग लिया था, और पांच नाइपर शीर्ष 20 सूची में हैं।

प्रारंभ में, उनकी स्थापना, परिसर और पदों के सृजन में कुछ रुकावटें थीं, लेकिन अब सभी नाइपर में पदों को मंजूरी दे दी गई है, भर्ती संबंधी नियम बनाए गए हैं और आवश्यकतानुसार पदों को भरा गया है। गुवाहाटी परिसर का निर्माण लगभग 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है और समिति ने पहले ही नाइपर, गुवाहाटी परिसर को देख रखा है। अहमदाबाद में परिसर का निर्माण लगभग 30 प्रतिशत पूरा हो गया है,

और ईएफसी ने हाल ही में अन्य चार नाइपर के परिसर के निर्माण की अनुमति दी है। हमने परिसर के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी को पहले ही नामित कर दिया है, और हमें कुछ अतिरिक्त निधियां भी मिली हैं। इसलिए, हमें यह आशा है कि शेष चार नाइपर के परिसर अगले वित्तीय वर्ष में तैयार हो जाएंगे।

जहां तक नाइपर के समक्ष चुनौतियों का संबंध है, इसमें वित्तीय आबंटन शामिल है। वास्तव में, हम ईएफसी में पांच वर्षों की अवधि के लिए लगभग 4,300 करोड़ रुपये की निधि की मांग करने गए थे, लेकिन हमें मौजूदा नाइपर के लिए केवल 1,500 करोड़ रुपये मिले हैं। 1500 करोड़ रुपये जो सात मौजूदा नाइपर के लिए प्राप्त हुए हैं। हम पांच और नाइपर स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए हम वैकल्पिक स्रोतों के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम इन नाइपर को स्थापित कर सकते हैं। ये नाइपर मदुरै, बंगलौर, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में हैं। हाल ही में, नाइपर ने कुछ पहल की हैं, जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

3.14 नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) के तहत निधियों का उपयोग करने के लिए विभाग द्वारा की गई पहलों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग के सचिव ने यह कहा कि "महोदय, इसमें हमने 1,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था। इसमें हम अनुसंधान कार्यक्रम लेना चाहते थे, हो सकता है कि नाइपर को इस योजना के तहत कवर न किया जाए। हम उत्कृष्टता केंद्र बनाना चाहते थे। इस संबंध में हमें यह उत्तर दिया गया था कि एनआरएफ दिशानिर्देश अभी भी प्रक्रियारत हैं।

3.15 अनुदानों की मांगों 2022-23 संबंधी मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति ने यह भी देखा कि निजी फार्मा कंपनियों के पास अनुसंधान और विकास के वित्तपोषण के लिए संसाधन हैं, जबकि फार्मा एमएसएमई के पास ऐसे संसाधनों की कमी है। इस संबंध में समिति ने सुझाव दिया कि औषध विभाग फार्मा एमएसएमई उद्योग की अनुसंधान और विकास संबंधी मांगों के साथ नाइपर अनुसंधान कार्यक्रमों को जोड़ने के बारे में सोचे।

3.16 समिति के उपर्युक्त सुझाव पर, सचिव, औषध विभाग ने मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित जानकारी दी:

"नाइपर कुछ हद तक इंसुलेटेड हैं। उन पर आम जन की दृष्टि उतनी नहीं जाती है। इसलिए, वे जो काम कर रहे हैं, वह उद्योग में परिलक्षित नहीं होता है। इसलिए, हमने उद्योग के साथ आगे बातचीत शुरू कर दी है। जैसा कि हमारे संयुक्त सचिव ने बताया, हमने सामान्य अनुसंधान कार्यक्रम पर काम किया है। उन्होंने चार

समस्याओं की पहचान की है जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे कौन से रोग हैं जिनसे अधिकांश लोग प्रभावित होते हैं? वे कौन से उपचार हैं जिनमें हमें और काम करने की आवश्यकता है? जैसा कि माननीय सदस्य ने भी कहा, कि हम कैसे एमएसएमई क्षेत्र के लिए मददगार हो सकते हैं? यदि एक नाइपर में 25 संकाय हैं, तो एक कंपनी में 2,000 वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। इसलिए, हमें प्राथमिकता देनी होगी और इसलिए हम इस पर काम कर रहे हैं। जब हमारे पास यह प्रस्तुति होगी, तो हम समिति के साथ अपना दृष्टिकोण साझा करना चाहेंगे और मार्गदर्शन लेंगे। इसलिए, नाइपर के अधिकारी और हमारे दो निदेशक भी ये नोट कर रहे हैं।"

ख. औषध उद्योग का एकछत्र योजना विकास - एमएच 2852

3.17 विभाग की एकछत्र योजना है जिसका नाम 'औषध उद्योग का विकास' है । इसका उद्देश्य घरेलू औषध उद्योग की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है ताकि वे वैश्विक बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभा सके और बड़े पैमाने पर उपभोग के लिए गुणवत्तापूर्ण औषध की पहुंच, उपलब्धता और सामर्थ्य सुनिश्चित कर सकें। यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसमें निम्नलिखित उप-योजनाएं शामिल हैं:

(क) भारत में महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती (डीआई)/सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

(ख) बल्क औषधि पार्कों को बढ़ावा देना

(ग) चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

(घ) चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना

(ड.) औषध के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

(च) औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)

(छ) सामान्य सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआईसीएफ)

(ज) औषध संवर्धन एवं विकास योजना (पीपीडीएस)

ईएफसी ने एकछत्र योजना से उप-योजनाओं (च) से (ज) को अलग करने और उन्हें एक अलग योजना के रूप में लागू करने की सिफारिश की है।

3.18 ईएफसी की उपर्युक्त सिफारिश को जारी रखते हुए, 2022-23 की अनुदानों की मांगों पर मौखिक साक्ष्य के दौरान औषध विभाग के एक प्रतिनिधि ने भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया कि देश में दवा सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभाग औषध उद्योग को मजबूत करने के लिए औषध उद्योग सशक्तिकरण योजना नामक एक विशेष योजना कार्यान्वित कर रहा है। इसकी तीन उप-योजनाएं हैं अर्थात् (i) औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस); (ii) सामान्य सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआईसीएफ) और (iii) औषध एवं चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस)।

3.19 इस संबंध में औषधि विभाग के प्रतिनिधि ने इन तीनों उप-योजनाओं की स्थिति के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जो इस प्रकार है:

" पिछले साल सितंबर में हुई ईएफसी की बैठक में इन तीनों योजनाओं को इस वित्तीय वर्ष से शुरू होकर पांच साल के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। हमने योजना के दिशानिर्देशों पर पहुंचने से पहले व्यापक स्तर पर हितधारकों से परामर्श किए हैं, जिन्हें तदनुसार संशोधित किया जा रहा है और माननीय मंत्री जी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

जैसा कि पिछली बार समिति द्वारा दर्शाया गया है, हम पेशेवर पीएमसी - परियोजना प्रबंधन सलाहकार - की नियुक्ति कर रहे हैं ताकि इन परियोजनाओं को बिना किसी देरी के प्रणालीगत, पेशेवर और पारदर्शी तरीके से निष्पादित किया जा सके।

यह औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस) है, जो फार्मा और चिकित्सा क्षेत्र में एमएसएमई, एसएमई पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि डब्ल्यूएचओ-बेहतर विनिर्माण पद्धतियों के लिए गुणवत्ता और तकनीकी दोनों मानकों का उन्नयन किया जा सके ताकि वे विश्व स्तरीय उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन करने में सक्षम हो सकें और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी बन सकें। हम योजना-एम और डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणन का समर्थन करने की योजना बना रहे हैं ताकि वे अन्य देशों को निर्यात करने के योग्य हो सकें। उपलबध सूचना के अनुसार एसएमई और एपीआई दोनों में उपलब्ध 6,700 से अधिक एसएमई में से केवल 2,006 प्रमाणित हैं। इसलिए, हमारे पास एक बड़ा दायरा है जिसे समर्थन दिया जाना है। हम एमएसएमई मंत्रालय के पास उपलब्ध योजनाओं को भी सहयोजित करने की योजना बना रहे हैं ताकि

वे समर्थन कर सकें। बजट में कुछ बढ़ोतरी की गई है। इसलिए, हम उनके साथ भी सहयोजन करना चाहते हैं। इस वित्तीय वर्ष के लिए हमारे पास 62 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। हम बैठकों की एक श्रृंखला बनाने की योजना बना रहे हैं ताकि हम पर्याप्त इकाइयों को कवर कर सकें।

तत्पश्चात्, हमारे पास सामान्य सुविधाओं (एपीआई-सीएफ) के लिए औषध उद्योग को सहायता प्रदान की गई है, जो सीईटीपी, प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों जैसी सामान्य सुविधाएं सृजित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इसमे 22-22 सतत योजनायें हैं; पहले से ही एक परियोजना शुरू की जा चुकी है और दो और परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

हमारे पास ईएफसी से संकेतों के आधार पर योजना के नए दिशानिर्देश हैं, जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। एपीआई-सीएफ स्कीम के बारे में, हमने तमिलनाडु में सीडीपी संयंत्र दिया है, जिसे चालू कर दिया गया है और कार्य करना शुरू कर दिया गया है। हमने काफी हद तक निधि जारी कर दी है; शेष वित्त बिलों आदि की राशि जांच के बाद जारी की जाएगी।

ये एक ही योजना के तहत दो परियोजनाएं हैं - एक हिमाचल प्रदेश में है। यह सीईटीपी भी है, जहां हमने लगभग 60 प्रतिशत राशि जारी की है; दूसरा पुणे में है जहां यह परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए है। हम नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं। हमने उपकरणों का ऑर्डर दे दिया है। एक बार जब वे आ जाएंगे, तो हम शेष राशि जारी करेंगे।

उपयोजना की यह तीसरी योजना है। इसमें औषध संवर्धन विकास योजना शामिल होगी। यह ज्यादातर छोटे अध्ययन, अनुसंधान और सम्मेलनों और वेबिनार के आयोजन की सुविधा के लिए है। हम नई योजनाओं को भी अंतिम रूप दे रहे हैं। हम कई अध्ययनों का समर्थन करने की योजना बना रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में, हमने पहले ही पांच अध्ययनों का समर्थन किया है, दोनों अल्पकालिक और दीर्घकालिक, जो अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण हैं और जो हमें प्रभावी नीति निर्धारण के लिए पर्याप्त इनपुट देंगे। यह अधिसूचना द्वारा किया गया है; हमने तकनीकी समिति के माध्यम से चयन किया है।

3.20 इसके अतिरिक्त, पीपीडीएस योजना के संबंध में सचिव, औषध विभाग ने यह भी कहा कि पहले इस योजना के अंतर्गत किए गए अध्ययन तदर्थ थे और अब विभाग ने सभी विभागों/संगठनों/उद्योग से अध्ययन की आवश्यकताओं को एकत्र कर लिया और अब एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन कर रहा है।

3.21 औषध विभाग वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान विभिन्न उप-योजनाओं के लिये वित्तीय परिव्यय को अनुरूप परिणामों तक परिवर्तित करने में जिस सीमा तक समर्थ हुआ है, को एकछत्र योजना 'औषध उद्योग का विकास' के अन्तर्गत दर्शाने वाला एक विवरण नीचे दिया गया है: -

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	योजना	2019-20			2020-21			2021-22		
		सं. अ.	वास्तविक व्यय	आउटकम (वास्तविक व्यय/ सं.अ.) प्रतिशत में	सं. अ.	वास्तविक व्यय	आउटकम (वास्तविक व्यय/ सं.अ.) प्रतिशत में	सं. अ.	वास्तविक व्यय	आउटकम (वास्तविक व्यय/ सं.अ.) प्रतिशत में
1.	औषध संवर्धन तथा विकास योजना	1.19	1.06	89.08	0.50	0.50	100	2.00	0.01*	0.5
2.	औषधि प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना	0.02	शून्य	शून्य	0.01	शून्य	शून्य	0.01	शून्य	शून्य
3.	क्लस्टर विकास	2.24	2.23	99.55	7.50	7.22	96.26	15.61	1.51	15.1
4	साझा सुविधा केन्द्र के लिए बल्क ड्रग को सहायता	0.02	-	-	1.69	1.68	99.40	36.24	0.00	-
5	साझा सुविधा केन्द्र के लिए चिकित्सा उपकरण को सहायता	0.02	-	-	21.05	7.49	35.58	137.02	8.62	6.29
6	औषध क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
7	भारत में महत्वपूर्ण केएसएम/ ड्रग इंटरमीडिएट तथा एपीआई के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए पीएलआई योजना	नई उप-योजना। 2020 में अनुमोदित			1.55	1.55	100	2.79	0.22	7.89
8	चिकित्सा उपकरण के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए पीएलआई योजना	नई उप-योजना। 2020 में अनुमोदित			2.00	2.00	100	3.31	2.13	64.20
9	उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन औषध योजना	-			-	-	-	3.00	1.24	

* 30.12.2021 की स्थिति के अनुसार

3.22 औषध उद्योग की एकछत्र विकास योजना के तहत वित्तीय परिव्यय और परिणामों का उप-योजना-वार विश्लेषण का नीचे दिया गया है:-:

क. <u>औषध एवं चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस)</u>

3.23 इस उप-योजना का उद्देश्य संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के आयोजन, अध्ययन/परामर्शआदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके औषध क्षेत्र में संवर्धन, विकास और निर्यात संवर्धन है। नई योजना के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो उप-योजना के वित्तीय परिव्यय को दर्शाता है।

3.24 समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान औषध संवर्धन और विकास योजना (पीपीडीएस) के तहत 30.12.2021 की स्थिति के अनुसार उपयोग केवल 0.01 करोड़ रुपये क्यों है और आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:

योजना का नाम	**ब.अ. 2021-22**	**सं.अ. 2021-22**	**वास्तविक (11.2.2022 की स्थिति के अनुसार)**
औषध संवर्धन और विकास योजना (पीपीडीएस)	2.00	2.00	1.01

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 अध्ययनों को मंजूरी दी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में आंशिक किस्तें जारी की जानी हैं। कुछ कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं। उम्मीद है कि 31 मार्च, 2021 तक संपूर्ण संशोधित अनुमान का उपयोग किया जाएगा।

3.25 इस योजना के निष्पादन में विभाग द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों और उनका समाधान करने के लिए विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों का विवरण दिये जाने हेतु पूछे जाने पर विभाग ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

"इस प्रकार, योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा है। ईएफसी ने 24.9.2021 को आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की कि औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस), सामान्य सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ) और औषध संवर्धन और विकास योजना (पीपीडीएस) की उप-योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक अलग योजना के रूप में जारी रखा जा सकता है। तदनुसार, इन उप-योजनाओं के लिए योजना दिशानिर्देशों को उप-योजनाओं के वित्तीय परिव्यय के साथ अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें व्यवस्थित, पेशेवर और पारदर्शी तरीके से परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार का प्रस्ताव रखा गया है।"

ख. <u>औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)</u>

3.26 इस उप-योजना का उद्देश्य लघु और मध्यम फार्मा उद्यमों (एसएमई) को अपने संयंत्र और मशीनरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) – बेहतर विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) मानकों के लिए उन्नयन करने की सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे विश्व स्तरीय उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं बनाने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और बाजार के नेता बन सकें।

योजना की आवश्यकता:

क. गुणवत्ता/प्रौद्योगिकी उन्नयन - अनुसूची-एम/डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणन के लिए फार्मा एमएसएमई का समर्थन करने के लिए, ताकि वे वर्तमान संयंत्र और मशीनरी के प्रतिस्थापन/ उन्नयन/संवर्धन/के लिए समर्थन करके संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप को निर्यात करने के लिए पात्र बन सकें।

ख. उपलब्ध सूचना के अनुसार, औषध और एपीआई दवाओं के विनिर्माण में 6790 एसएमई में से, केवल 2006 डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रमाणित हैं और 4500 से अधिक डब्ल्यूएचओ-जीएमपी से बाहर हैं।

ग. पीटीयूएएस एसएमई क्षेत्र में कई इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुपालित विनिर्माण प्रक्रिया के लिए खुद को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करेगा।

3.27 विभाग ने बताया कि वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान केवल टोकन राशि आवंटित की गई थी।

3.28 इस योजना के निष्पादन में विभाग द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों और उनका समाधान करने के लिए विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

"वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त न होना योजना के क्रियान्वयन में एक चुनौती थी। इसे देखते हुए, योजना में सुधार किया गया और विभाग ने अनुमोदन के लिए ई.एफ.सी. प्रस्तुत किया। ईएफसी ने दिनांक 24.9.2021 को आयोजित अपनी बैठक में औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस), साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ) और औषध संवर्धन और विकास योजना (पीपीडीएस) की उप-योजनाएं को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक अलग योजना के रूप में जारी रखने की सिफारिश की। तदनुसार, इन उप-योजनाओं के लिए योजना दिशानिर्देशों के साथ उप-योजनाओं के

वित्तीय परिव्यय को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें एक व्यवस्थित, पेशेवर और पारदर्शी तरीके से परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार रखने का प्रस्ताव है।"

3.29 इसके अतिरिक्त समिति ने वर्ष 2022-23 के दौरान योजना हेतु बजटीय आबंटन और इसे किस प्रकार से उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है के बारे में भी पूछा, विभाग ने निम्नवत् उत्तर दिया:-

"पीटीयूएएस हेतु वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान 61.98 करोड़ रुपये है। योजना के दिशा-निर्देशों को ईएफसी अनुमोदन के अनुसार संशोधित किया जा रहा है जिसमें एक व्यवस्थित, पेशेवर और पारदर्शी तरीके से परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार का प्रस्ताव है। यह आशा है कि जल्द ही योजना के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी जाएगी और जल्द ही आवेदन विंडो खोली जाएगी। स्वीकृत आवेदक को निधि जारी की जाएगी।"

ग. <u>सामान्य सुविधा केंद्र के लिए औषध उद्योग के लिए सहायता (जिसे पहले क्लस्टर विकास के रूप में जाना जाता था)</u>

3.30 यह उप-योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में कार्यान्वित की जाती है। इस उप-योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधाओं के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि सामान्य परीक्षण केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, केन्द्रीय बहिस्त्राव शोधन योजना (सीईटीपी), सामान्य संभार तंत्र केन्द्र आदि।

3.31 सामान्य सुविधा केंद्र (जिसे पहले क्लस्टर विकास के रूप में जाना जाता था) के लिए औषध उद्योग की सहायता के तहत वास्तविक व्यय 1.51 करोड़ रूपए है, जबकि स्वीकृत संशोधित अनुमान 15.61 करोड़ रूपए, यानी केवल 15.1 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया गया है। इस संबंध में समिति द्वारा पूछे जाने पर कि विभाग इस योजना के खराब प्रदर्शन को कैसे सही ठहराता है और योजना के अंतर्गत निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है:

"स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राशि किश्तों में योजना दिशानिर्देशों में उल्लिखित भुगतान की शर्तों के अनुसार जारी की जाती है। चूंकि आईपीआरएफ ने दूसरी किस्त जारी करने का लक्ष्य पूरा नहीं किया, इसलिए उन्हें कोई राशि जारी नहीं की गई। केआईडीसी को दूसरी किस्त के रूप में केवल 1.51 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। अब आईपीआरएफ को 6.51 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी करना

प्रक्रियाधीन है। केआईडीसी को तीसरी किस्त भी मार्च 2022 तक जारी कर दी जाएगी। पीडीआईएल और एनपीसीसीएल को परामर्श शुल्क भी 31 मार्च, 2022 तक जारी कर दिया जाएगा।"

3.32 सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के संबंध में, विभाग ने निम्नलिखित स्थिति प्रस्तुत की:

i. 29.91 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जीदीमेटला एफ्लुएंट ट्रीटमेंट लिमिटेड (जेईटीएल) का प्रस्ताव।

ii. जीदीमेटला, हैदराबाद में "उन्नत विश्लेषणात्मक परीक्षण सुविधा और प्रशिक्षण केंद्र" स्थापित करने के लिए बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इंडिया) का प्रस्ताव।

iii. सिरमौर ग्रीन एनवायरन लिमिटेड (एसजीईएल) का औद्योगिक क्षेत्र गोंडपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) स्थापित करने का प्रस्ताव।

iv. पुणे, महाराष्ट्र में सामान्य सुविधा केंद्र के निर्माण के लिए इंडुकेयर औषध एंड रिसर्च फाउंडेशन (आईपीआरएफ) के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे दी गई है। पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।

v. औद्योगिक क्षेत्र काला अंब तहसील नाहन, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में एक साझा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) स्थापित करने के लिए कला अंब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे दी गई है। 2 किस्तें पहले ही जारी की जा चुकी हैं।"

घ) <u>बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा (सामान्य सुविधा केंद्र के लिए बल्क ड्रग उद्योग को सहायता)</u>

3.33 इस योजना का उद्देश्य विश्व स्तरीय सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के सृजन के लिए सहायता अनुदान प्रदान करके 3 बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देना है। वित्तीय सहायता प्रति पार्क 1000 करोड़ रुपये या सीआईएफ की लागत का 70% जो भी कम हो, है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए 90% और कुल परियोजना परिव्यय 3000 करोड़ रुपये है। योजना की अवधि 2020-21 से 2024-25 तक है। चालू वर्ष के दौरान अनुमानित व्यय 2.25 करोड़ रुपये है।

3.34 जब समिति ने विभाग से 2021-22 के दौरान योजना के तहत संशोधित अनुमान चरण में 36.24 करोड़ रुपये की निधियों का उपयोग नहीं करने के कारणों और 2021-22 के दौरान योजना के लिए आवंटित 36.24 करोड़ रुपये के उपयोग के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताने के लिए कहा, तब विभाग ने निम्नलिखित उत्तर दिया।:

" बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन" योजना के दिशानिर्देश दिनांक 27.07.2020 को जारी किए गए थे। कुल 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। चूंकि 3 राज्यों का चयन प्रक्रियाधीन है, इसलिए 36.24 करोड़ रुपये की राशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत पहली किस्त के लिए आवश्यक राशि 900 करोड़ रुपये होगी जिसे बजट अनुमान वर्ष 2022-23 में आवंटित किया गया है।"

3.35 इसके अलावा विभाग ने यह बताया कि बजट अनुमान 2022-23 में बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत 900 करोड़ रुपये की राशि बजट अनुमान स्तर पर योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 के लिये आवंटित की गई है। इस राशि का उपयोग अनुदान सहायता के रूप में सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ़) के विनिर्माण के लिए 3 चयनित राज्यों में से प्रत्येक को 300 करोड़ रुपये की पहली किस्त देने के लिए किया जाएगा।

ङ.) <u>चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा (सामान्य सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता)</u>

3.36 इस योजना का उद्देश्य सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के सृजन के लिए सहायता अनुदान प्रदान करके 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना है। कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपये का है। योजना की अवधि 2020-21 से 2024-25 तक है। वित्तीय सहायता 100 करोड़ रुपये प्रति पार्क या सीआईएफ की लागत का 70% जो भी कम हो, है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए यह सहायता 90 प्रतिशत होगी।

3.37 बजट अनुमान 2022-23 में 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसका उपयोग सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए "चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन" योजना के अंतर्गत 4 चयनित राज्यों को दूसरा अनुदान प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

3.38 इस योजना के तहत विभाग 2021-22 के संशोधित अनुमान चरण में 137.02 करोड़ रुपये की आवंटित राशि में से केवल 8.62 करोड़ रुपये खर्च करने में सक्षम है। समिति ने निधियों के कम उपयोग के कारणों के बारे में पूछा, विभाग ने निम्नानुसार बताया:

"संशोधित अनुमान 2021-22 में, "चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन" योजना के अंतर्गत 137.02 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अब तक, आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड (एएमटीजेड) को दूसरी किस्त के रूप में 7.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, योजना की परियोजना प्रबंधन एजेंसी आईएफसीआई लिमिटेड को शुल्क के रूप में 1.12 करोड़ रुपये और 12 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है और "चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन" योजना के अंतर्गत क्रमशः उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को 30 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसलिए, अब तक 50.62 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं।

शेष राशि एएमटीजेड को तीसरी किस्त (7.5 करोड़ रुपये), आईएफसीआई लिमिटेड को सेवा शुल्क के रूप में, 30 करोड़ रुपये की पहली किस्त हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों को जारी की जाएगी। साथ ही, 18 करोड़ रुपये की पहली किस्त का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य को जारी किया जाएगा। "

3.39 2020-21 के दौरान सामान्य सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता उप-योजना के लिए 13.58 करोड़ रुपये का उपयोग न करने के औचित्य के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने इस प्रकार बताया है:

" वित्तीय वर्ष 2020-21 में एएमटीजेड के लिए पहली जीआईए के रूप में 7.50 करोड़ रुपये में से, 7.49 करोड़ रुपये का उपयोग केवल सामान्य सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता उप-योजना के अंतर्गत किया गया था।

संशोधित अनुमान चरण में, सामान्य सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता के लिए 21.05 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूरक अनुदानों की मांगों के दूसरे बैच के अंतर्गत मांगा गया था। लेकिन जांच के समय इसे सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि दो उप-योजनाओं के नाम समान थे, इसे सामान्य सुविधा केंद्र के लिए बल्क ड्रग उद्योग को सहायता और सामान्य सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण की सहायता के बीच गलत व्याख्या की गई थी। और वित्त मंत्रालय ने

सामान्य सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण की सहायता के बजाय समान उप-योजना यानी सामान्य सुविधा केंद्र के लिए बल्क ड्रग उद्योग को सहायता में पुन: विनियोग की अनुमति दी।"

ग. नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं

i. भारत में महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री(केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

3.40 यह योजना 41 प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ड्रग मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) के विनिर्माण के लिए योजना के अंतर्गत चयनित विनिर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह योजना चयनित प्रतिभागियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 6,940 करोड़ रुपये है और योजना का कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2020-2021 से 2029-30 तक है।

3.41 इस योजना के तहत विभाग द्वारा 2.79 करोड़ रुपये की आवंटित राशि में से 2021-22 के स.अ. चरण में केवल 0.22 करोड़ रुपये व्यय किए गए है जो आवंटित स.अ राशि का केवल 7.89 प्रतिशत है। इसके कारणों के बारे में समिति द्वारा पूछे जाने पर विभाग ने बताया , " स.अ. 2021-22 में उपलब्ध राशि पीएमए को परामर्श शुल्क जारी करने के लिए है। व्यावसायिक सेवा शीर्ष के खुलने की प्रतीक्षा में पीएमए को कोई शुल्क जारी नहीं किया गया था। इस निधि का उपयोग 31 मार्च 2022 तक किया जाएगा" ।

3.42 महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ ड्रग मध्यवर्ती(डीआई) और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए औषध क्षेत्र से मिली प्रतिक्रिया के संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने कहा कि ''औषध क्षेत्र से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। चरण-1 और चरण-II में कुल 239 आवेदन प्राप्त हुए थे। 3,685.38 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ 49 आवेदकों को मंजूरी दी गई है।''

3.43 आगे यह पूछे जाने पर कि 2022-23 के बजट अनुमान स्तर पर योजना के लिए आवंटन 390 करोड़ रुपये है और इसका उपयोग कैसे किया जाना प्रस्तावित है विभाग ने लिखित उत्तर में बताया कि

योजना के अंतर्गत पात्र उत्पादों की बिक्री पर अनुमोदित आवेदकों को प्रोत्साहन जारी किया जाना है। योजना के अंतर्गत 49 आवेदकों को मंजूरी दी गई है। अब तक कुल 8 प्लांट चालू किए जा चुके हैं।

3.44 औषध विभाग के एकप्रतिनधि ने अनुदान मांगों 2022-23 के मौखिक साक्ष्य के दौरान योजना की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया:-

''पहली पीएलआई योजना प्रमुख प्रारम्भिक सामग्री (केएसएम) ड्रग मध्यवर्ती (डीआई) सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री (एपीआई), जिन्हें हम सामान्यत: बल्क ड्रग कहते हैं, के लिए है। ये फार्मूलेशन के महत्वपूर्ण घटक हैं। हम पहले से ही दूसरे देशों में कुछ बल्क ड्रग का निर्यात कर रहे हैं लेकिन हम आयात पर भी निर्भर हैं। हमने कुछ महत्वपूर्ण एपीआई का विश्लेषण भी किया जहां 80 प्रतिशत से ज्यादा निर्भरता है। तत्पश्चात्, हमने कुछ 56 एपीआई को जोड़ा जिसमें से हमने 41 योग्य उत्पादों के लिए एक योजना बनाई थी। हमने उसके लिए प्रोत्साहन भी दिया है। हमारे पास उत्पादन के दाे तरीके हैं। एक किण्वन आधारित और दूसरा रासायनिक संश्लेषण पर आधारित है। हमने किण्वन आधारित उत्पादों के लिए अधिक प्रोत्साहन दिया है क्योंकि इसमें वे जेस्टेशन और तकनीकी दोनों की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमने प्रोत्साहन दिया है। ये सभी उत्पादन अधिसूचित किये गये हैं। 41 उत्पादों के लिए, जिन्हें चरण 1 और चरण 2 दोनों में अधिसूचित किया गया है, हमें 49 आवेदन मंजूर किए हैं। 49 में से 8 प्लांट/संयंत्र पहले ही चालू किये जा चुके हैं और वहां उत्पादन शुरू हो चुके हैं। शेष 12 संयंत्र मार्च में चालू हो जाएंगे। मैं समिति को अवगत कराना चाहता हूं कि 41 योग्य उत्पादों के अधिसूचित होने के बावजूद हमें 10 उत्पादों के लिए पूरे आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अत: लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने तीसरे चरण भी शुरु किया। अंतिम तिथि 13 मार्च है। उद्योग इकाईयों को यह बताने के लिए हम उनके सम्पर्क में हैं कि ये उत्पाद महत्वपूर्ण हैं और यह हमारी आयात-निर्भरता को कम करेगी। इससे हम आत्म-निर्भर भी बनेंगे।''

3.45 उपर्युक्त के सम्बन्ध में, समिति ने यह पाया कि विभाग को पर्याप्त आवेदन प्राप्त न होने के कारणों की जांच करनी चाहिए और इस मामले के निस्तारण का प्रयास करना चाहिए। इसके जवाब में औषध विभाग के सचिव ने निम्नवत् स्पष्टीकरण दिया:-

'एपीआई, जिसका उल्लेख मैडम ने किया है, 44 में से 33 के लिए हमें बोलीदाता मिले हैं और जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने उत्पादन शुरु कर दिया है। उनमें से आठ के लिए हमें बोलीदाता नहीं मिले हैं,

उनमें से अधिकांश किण्वन आधारित हैं। उनमें से आठ के लिए उस समय सूची बनाई गई थी अब जब हम उद्योग जगत से बात कर रहे हैं कि वे आवेदन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस पर उद्योग जगत का मानना है कि इनमें से कुछ एपीआई बाजार में ज्यादा मांग नहीं है। उन्होंने निओमायसिन जेण्टामायसिन इत्यादि का उल्लेख किया। इसलिए हमें उम्मीद भी नहीं है। किण्वन में तकनीकी मुश्किल है, बड़े स्तर की आवश्यकता है और लागत अधिक है। जैसा कि माननीय सदस्य ने भी उल्लेख किया कि दूसरे देश बिजली की लागत और पानी की लागत के रूप में अधिक समर्थन प्रदान कर रहे हैं और शायद पर्यावरणीय संबंधी मंजूरी अन्य जगहों पर बहुत आसान हो सकती है। हम इसके बारे मे नहीं जानते हैं। लेकिन भारत में , हम उस प्रकार के प्रोत्साहनों को प्रदान करने के लिए राज्यों पर निर्भर रहते हैं। हालांकि, कुछ निजी कारोबारियों ने दिलचस्पी दिखाई दी। जैसा कि मैडम ने उल्लेख किया, हमने भी कारणों का पता लगाने का प्रयास किया कि क्यों इन आठ एपीआई के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। हमने पाया कि इसका पहला कारण बाजार की कमी, दूसरा लागत प्रतिस्पर्धा की चिंता है और तीसरा निवेश और पैमाने की आवश्यकता है। हमने अब कुछ उद्योग जगत से आगे आने को कहा है। मैं बता सकता हूं कि तीन या चार एपीआई अभी भी बाकी रह सकती हैं। तत्पश्चात्, हम यह बताने के लिए मंत्रिमंडल के पास जायेंगे और यह उत्पाद छोड़कर दूसरे उत्पाद पर ध्यान दें क्योंकि यह सूची मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत है। जब तक मैं सारी संभावनाओं को न तलाश लूं मैं मंत्रिमंडल के पास नहीं जाना चाहूंगा।''

(ii) चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)

3.46 घरेलू चिकित्सा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र अन्य बातों के अलावा, विनिर्माण में अक्षमता की विचारणीय लागत से जूझ रहा है जिसके कारण हैं पर्याप्त बुनियादी ढांचे, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और संभारतंत्र की कमी, उच्च वित्तीय लागत, गुणवत्ता शक्ति की अपर्याप्त उपलब्धता, सीमित डिजाइन क्षमताएं, अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास पर कम निवेश। भारत में अन्य प्रमुख विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में इन चुनौतियों को दूर करने के लिए, " चिकित्सा उपकरणो के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन योजना" नामक योजना भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.03.2020, को अनुमोदित की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन के दिशानिर्देश दिनांक 29.10.2020 को जारी किये गये थे। यह योजना केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर लागू होगी और इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित

करना है। 3,420 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ इस योजना का कार्यकाल 2020-21 से 2027-28 तक होगा। योजना के अंतर्गत भारत में विनिर्मित चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री पर चयनित कंपनियों को पांच वर्ष की अवधि के लिए 5% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

3.47 2021-22 के दौरान इस योजना के तहत स.अ. 3.31 करोड़ रुपये है, और वास्तविक व्यय 2.13 करोड़ रुपये है जो उपयोग का मात्र 64.20 प्रतिशत है। स.अ. और वास्तविक व्यय में भिन्नता का कारण के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने कहा कि ''2021-22 में बजट अनुमान 2.36 करोड़ रुपये, 2021-22 में संशोधित अनुमान 3.31 करोड़ रुपये और अब तक का वास्तविक खर्च 2.13 करोड़ रुपये है। दिसंबर 2021 और मार्च 2022 को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए 50,00,000/- रुपये का निश्चित तिमाही शुल्क पीएमए को जारी किया जाना है। संशोधित अनुमान 20221-22 का मार्च 2022 तक पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा।''

3.48 2022-23 के बजट अनुमान चरण पर उप योजना के लिए आवंटन 216 करोड़ रुपये है और इसके उपयोग के सम्बन्ध में विभाग ने कहा, ''योजना के अंतर्गत पात्र उत्पादों की बिक्री पर स्वीकृत आवेदकों को प्रोत्साहन राशि जारी की जानी है। योजना के अंतर्गत 21 आवेदकों को स्वीकृत किया गया है।''

(iii) <u>औषध हेतु उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)</u>

3.49 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 11.11.2020 को अपनी बैठक में औषध के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर और दवा क्षेत्र में उच्च मूल्य के सामान के उत्पाद विविधीकरण में योगदान करके भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है। इस योजना का एक और उद्देश्य भारत से बाहर वैश्विक चैंपियन बनाना है जो अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके आकार और पैमाने में बढ़ने की क्षमता रखते हैं और इस तरह वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रवेश करना चाहते हैं।

3.50 योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 15,000 करोड़ रुपए है और निम्नलिखित तीन श्रेणियों केऔषध उत्पादों को उनकी वृद्धिशील बिक्री के आधार पर योजना के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना का कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2021 से 2028-29 तक है।

(क) **श्रेणी 1**

बायोफार्मास्युटिकल्स; जटिल जेनेरिक दवाएं; पेटेंट की गई या पेटेंट की समाप्ति के करीब दवाएं; सेल आधारित या जीन थेरेपी दवाएं; ऑर्फ़न दवाएं; विशेष एम्प्टी कैप्सूल जैसे एचपीएमसी, पुल्लुलान, एंटेरिक आदि; जटिल एक्सीसिएंट्स; फाइटो-फार्मास्युटिकल्स; अन्य स्वीकृत के रूप में दवाएं।

(ख) **श्रेणी 2**

सक्रिय औषधीय सामग्री / प्रमुख प्रारंभिक सामग्री / ड्रग मध्यवर्ती

(ग) **श्रेणी 3 (श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत नहीं आने वाली दवाएं)**

पुन: उपयोग की जाने वाली दवाएं; ऑटो प्रतिरक्षा दवाएं, कैंसर विरोधी दवाएं, मधुमेह विरोधी दवाएं, संक्रामक विरोधी दवाएं, कार्डियोवैस्कुलर दवाएं, साइकोट्रॉपिक दवाएं और एंटी-रेट्रोवायरल दवाएं; इन विट्रो नैदानिक उपकरणों में; अनुमोदित के रूप में अन्य दवाएं; अन्य दवाएं जो भारत में विनिर्मित नहीं हैं।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को ओपन बिडिंग के माध्यम से औषध हेतु पीएलआई योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में चुना गया है और योजना के अंतर्गत आवेदकों के चयन के लिए दिनांक 01.11.2021 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत सचिव, औषध विभाग की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया गया है। प्राप्त प्रस्तावों की जांच के बाद ग्रुप क के अंतर्गत 11 आवेदकों, ग्रुप 'ख' के अंतर्गत 9 आवेदकों और ग्रुप 'ग' श्रेणी के अंतर्गत 35 आवेदकों का चयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन एजेंसी सिडबी को सेवा शुल्क के रूप में 1.24 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। शेष 1.76 करोड़ रुपये की राशि को अभ्यर्पित कर दिया गया है क्योंकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान इसकी आवश्यकता नहीं है।

घ. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)/जन औषधि योजना-एमएच 2552+एमएच2852

3.51 सभी को, विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, इस विभाग द्वारा वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत, लोगों को जेनरिक दवाइयां प्रदान करने के लिए देशभर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र (पीएमबीजेके) नामक समर्पित दुकानें खोली गईं। पहला जन औषधि केंद्र 25.11.2008 को अमृतसर, पंजाब में खोला गया था। यह योजना शुरू नहीं हुई और 31.03.2014 तक केवल 80 स्टोर कार्य कर रहे थे। वर्ष 2015 में, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गठित सचिवों की समिति ने सिफारिश की थी कि "जन औषधि केंद्र" का विस्तार किया जाना चाहिए।

तदनुसार फ्रेंचाइजी जैसा मॉडल अपनाया गया था और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में एक गहन मीडिया अभियान चलाया गया था जिसमें व्यक्तिगत उद्यमियों को पीएमबीजेपी केंद्र की स्थापना और संचालन हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके उत्तर में, प्राप्त आवेदनों की जांच की गई और पात्र आवेदकों को केंद्र खोलने के लिए औषधि लाइसेंस और अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ सहायता प्रदान की गई। यह मार्ग खरीद के साथ-साथ दवाओं की बिक्री में निजी भागीदारी के लिए खोला गया था।

दिसंबर 2017 में 3000 केंद्र खोलने का लक्ष्य हासिल किया गया था। साथ ही, कुल 6000 केन्द्रों को खोलने का संशोधित लक्ष्य भी मार्च, 2020 में हासिल किया गया था। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 8640 जनऔषधि केंद्र काम कर रहे हैं। पीएमबीजेपी के उत्पाद समूह में 1451 दवाएं और 240 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। पीएमबीजेपी ने परियोजना के उत्पाद समूह में आयुष उत्पादों विशेष रूप से 75 आयुर्वेदिक दवाओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसकी खरीद के लिए पीएमबीआई द्वारा एक ई-निविदा तैयार की गई है।

3.52 पीएमबीजेपी योजना के पिछले तीन वर्षों अर्थात 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के वास्तविक और वित्तीय परिव्यय और परिणाम इस प्रकार हैं:-

वित्तीय वर्ष	भौतिक परिव्यय (केंद्रों की संख्या)	भौतिक परिणाम (केंद्रों की संख्या)	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	वित्तीय परिणाम (करोड़ रुपये में)	उत्पाद बास्केट परिव्यय (चिकित्सा, शल्य चिकित्सा)	उत्पाद बास्केट परिणाम	बिक्री लक्ष्य व्यय	बिक्री लक्ष्य परिणाम	माल गोदामों की संख्या परिव्यय	गोदामों की संख्या परिणाम
2019-20	6300	6306	42.00	35.51	-	802 155	-	433.61	-	4
2020-21	7300	7557	65.00	65.00	1400 220	1449 204	500	665.83	4	3

2021-22	8300	8683 (15.02.2022 तक)	68.50	56.30 (15.02.2022 तक)	1600 240	1451 240	625	751.42	5	3*

* 2021-22 के दौरान एक और मालगोदाम खोला जाएगा।

3.53 समिति ने 2022-23 के दौरान शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण, दूरस्थ क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और द्विपीय क्षेत्र में जन औषधि केंद्र खोलने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट लक्ष्य के बारे में पूछा

''वर्ष 2022-23 के लिए 1,000 केंद्र खोलने और उत्पाद बास्केट को 1800 दवाओं और 280 सर्जिकल तक बढ़ाने का लक्ष्य है। योजना को लोकप्रिय बनाने और आकांक्षी जिलों, हिमालयी, द्वीप क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्रों के विस्तार के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। ऐसे केंद्रों को अब सामान्य प्रोत्साहनों के अतिरिक्त 2 लाख रुपए का एकमुश्त अनुदान निम्नानुसार प्राप्त होता है:

एक. फर्नीचर और फिक्स्चर की 150 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति।
दो. कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर आदि की प्रतिपूर्ति के रूप में 0.50 लाख रुपए।

पीएमबीजेपी के तहत देश के सभी 739 जिलों को पहले ही कवर किया जा चुका है। हालांकि, पीएमबीआई ने विभिन्न राज्यों में जहां कवरेज कम है, के 265 जिलों में पीएमबीजेके खोलने के लिए जुलाई, 2021 में आवेदन आमंत्रित करने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए हैं।

3.54 विभाग के पास इन क्षेत्रों से ऐसे केंद्रों को खोलने के लिए कोई आवेदक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में भी शहरी, ग्रामीण, दूरस्थ क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और द्विपीय क्षेत्र में जन औषधि केंद्र खोलने की कोई विशेष नीति है के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:-

''आकांक्षी जिलों, हिमालयी, द्वीप प्रदेशों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में केंद्र खोलने के लिए एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। कम कवरेज वाले जिलों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ऐसे क्षेत्रों से अलग से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।''

3.55 अनुदान की मांगों 2022-23 सम्बन्धी मौखिक साक्ष्य के दौरान सभापति ने यह पाया कि जन औषधि बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने में आगे आने के लिए उद्यमियों को कठिनाईयों का सामना करना

पड़ता है क्योंकि यह बहुत लाभकारी नहीं होता है क्योंकि उन्हें ब्राण्डयुक्त उत्पादों को रखने की अनुमति नहीं होती। कभी-कभी लोग यह नहीं समझ पाते कि जेनेरिक दवाईयां क्या होती हैं और उन्हे वही दवाई चाहिए जो डॉक्टर ने नुस्खे में लिखा है। इस सम्बन्ध मे औषध विभाग के सचिव ने निम्नवत कहा:

''महोदया मैं दो-तीन उपायों के बारे में बताने की कोशिश करुंगा जो सम्भव है और किये जा रहे हैं क्योंकि यह हित में होगा। लोगों ने जन औषधि केन्द्रों के प्रति अपनी रुचि दिखाई है। महोदया हम लोग सतत् रुप में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए यह हितकारी है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडू में बड़ी संख्या में दुकानें मौजूद हैं। दुकानों की संख्या के संदर्भ में तमिलनाडू का स्थान तीसरा हो सकता है। वहां बहुत सारी दुकानें हैं और अधिक दुकानों को खोले जाने की संभावना है। हमारे पास दो रास्ते हैं जिसके माध्यम से हम दुकानों की संख्या बढ़ा सकते हैं। समय-समय पर हम लोग सरकारी अस्पतालों अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दुकनों को खोलने हेतु राज्य सरकार को लिखते रहे हैं क्योंकि वहां लोगों की आवाजाही अधिक होती है और दुकानें लाभकारी/अर्थक्षम होंगी क्योंकि कई लोग वहां आते हैं और अधिकांश लोग मध्यवर्गीय और निम्नमध्यवर्गीय होते हैं जो सरकारी सुविधाओं के लिए आते हैं और उन्हें सस्ती दवाओं का भी लाभ मिलेगा। यही बात हम लिखते रहे हैं। यह एक अवसर है। कई राज्यों ने सरकारी परिसरों में बहुत सारे जन औषधि केन्द्र खोले हैं, कुछ राज्यों ने नहीं खोला है। यह एक अवसर है।

दूसरा, दुकान को अर्थक्षम होना चाहिए क्योंकि हम पांच लाख रुपए तक पहुंचने पर ही पन्द्रह प्रतिशत लाभ देते हैं। उसके पश्चात् उद्यमी को स्वयं ही अर्थक्षम होना होता है इसलिए अब हम ऐसा कर रहे हैं कि एक ही जिला मुख्यालय में खोले जाने दुकानों के बदले हमने उन जिलों के लिए विज्ञाापन प्रकाशन किया जहां दुकानों की संख्या पांच से कम है। हम लोग जिला अधीक्षक को भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जिला अधीक्षक को पहले ही पत्र लिख दिया कि वे अपने उद्यमियों की पहचान करे और हम लोग और अधिक दुकानें देने के लिए तैयार हैं। तथापि जब हम दुकानों को मंजूरी देते हैं, हम लाभप्रदता को भी ध्यान में रखते हैं। हम नहीं चाहते कि वह दुकान असफल हो जाए क्योंकि वह एक उद्यम है और उद्यमी उसमें अपना पैसा लगाते हैं। इसीलिए एक साझेदार के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि दुकान सफल हो। इसलिए हम उसकी अर्थक्षमता को ध्यान मे रखते हैं। उसके पश्चात् उसके पास एक फार्मासिस्ट पंजीकरण हो और वह राज्य औषधि नियंत्रक से औषधि सम्बन्धी लाइसेंस प्राप्त करे जैसा कि रवि ने उल्लेख किया हमें अधिक आकांक्षी जिलों के लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि दो लाख रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध होता है। यदि उद्यमी महिला, दिव्यांग, अ.जा./अ.ज.जा. हो तो अतिरिक्त प्रोत्साहन भी उपलब्ध होता है। जहां यह केन्द्र अर्थक्षम नहीं हो हम उस रूप में सहायता कर सकते हैं।

इसलिए हम लोग खुले मन से इस कार्य को करने क लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि इसमें वृद्धि हो। पूर्व में समिति ने किसी समय यह भी कहा था कि प्रत्येक दस हजार लोगों पर एक जन औषधि केन्द्र हो। यह सम्भव नहीं है। लगभग तीन से चार लाख लोगों के लिए एक जन औषधि केन्द्र सही है। भारत में ऐसे केन्द्रों की सख्या नौ लाख है। साथ ही यहां हम केवल जेनेरिक दवाओं की ही बिक्री करते हैं। इसलिए हमें यह लक्ष्य रखना चाहिए कि प्रत्येक दुकान अर्थक्षम हो। इसलिए हमारा व्यवहार बहुत लचीला है। महोदय अगर हमें स्थानों के नाम दिये जाएं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और हम लोग व्यक्तिगत रुप से इस पर कार्य करेंगे।' '

अध्याय-चार

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

4.1 विभाग के तत्वाधान में पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) अर्थात कर्नाटक एंटीबायोटिक और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल), बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल), हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल), इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) एवं राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) हैं।

फार्मा पीएसयू को बन्द करने/पुनरुद्धार पर मंत्रिमंडल के फैसलों की समयसीमा

4.2 अप्रैल, 2016 में, मंत्रिमण्डल ने हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की देनदारियों को पूरा करने के लिए इसकी अधिशेष और खाली भूमि के हिस्से की बिक्री के प्रस्ताव पर विचार करते हुए निर्देश दिया कि वित्त मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग एवं जहाज रानी मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र की सभी औषध कंपनियों की स्थिति की विस्तार से जांच कर सकते हैं और भविष्य की कार्रवाई का सुझाव दे सकते हैं। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात, दिसंबर, 2016 और बाद में हुई बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गये:-

- 28.12.2016 को मंत्रिमंडल का निर्णय
  - बकाया देनदारियों को पूरा करने के लिए अधिशेष भूमि की बिक्री और तत्पश्चात्
  - आईडीपीएल व बीसीपीएल को बंद करना
  - बीसीपीएल व एचएएल का रणनीतिक विनिवेश
- 01.11.2017 को सीसीईए का निर्णय
  - केएपीएल में भारत सरकार की 100% इक्विटी का रणनीतिक विनिवेश।
- 17.07.2019 को मंत्रिमण्डल का निर्णय
  - दिनांक 14.06.2018 के डीपीई के संशोधित दिशानिर्देश के तहत भूमि की बिक्री
  - कर्मचारियों की देयता को पूरा करने के लिए 330.35 करोड़ रुपये बजटीय सहायता देना
  - बंद/रणनीतिक बिक्री से सम्बन्धित सभी निर्णय लेने के लिए एक मंत्रियों की समिति का गठन

- मंत्रियों की समिति की 27.05.2021 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय व तत्संबंधी स्थिति निम्नवत् है-

क्र.सं.	27.05.21 को सीओएम का निर्णय	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	139 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता-कर्मचारियों के बकाया को पूरा करने के लिए ऋण के रूप में एचएएच को 118.00 करोड़ और आरडीपीएल को 21.00 करोड़ रुपए।	कर्मचारियों के बकायों और इपीएफओ के ब्याज की राशि को चुकाने के लिए आरडीपीएल को 21 करोड़ रुपए और एचएएल को 118 करोड़ रुपए दिये गये।
2.	ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल की 833.38 एकड़ की पट्टे की भूमि, जिसमें 1.01 एकड़ पूर्ण-स्वामित्व वाली भूमि भी शामिल है, को उत्तराखण्ड सरकार को वापस करना और यूपीसीएल के 46.39 करोड़ रुपए के अनुमत बिजली बकाया का भुगतान करना अन्य क्षेत्रों के सम्पत्तियों की बिक्री से।	भूमि के पट्टे की 27.11.2021 को समाप्ति। जमीन की जल्दी वापसी के लिए मामला राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया है।
3.	आईडीपीएल/नाईपर, हैदराबाद को अनुमानित अनुदान को भारत सरकार क ऋण के बही समायोजन के लिए आईडीपीएल प्लांट साइट-1, हैदराबाद से 50 एकड़ भूमि को नाइपर, हैदराबाद का 889.50 करोड़ रुपए क आरक्षित मूल्य पर नियमित परिसर स्थापित करने के लिए हस्तान्तरण	सरकार ने बही समायोजन के तहत आईडीपीएल के 889.50 करोड़ रुपए के भारत सरकार के ऋण को माफ कर दिया है और भूमि औपचारिक रुप से नाइपर, हैदराबाद को सौंप दी गयी है। आईडीपीएल प्रासंगिक राजस्व रिकार्ड के तहत हस्तान्तरित भूमि को लेने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान कर रही है।
4.	345.24 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर नियमित परिसर स्थापित करने के लिए पानीहाटी, कोलकाता में बीसीपीएल की 20.55 एकड़ भूमि को नाईपर को हस्तान्तरित करना और भारत सरकार ने बीसीपीएल को उपार्जित ब्याज के साथ 193.71 करोड़ रुपए के ऋण की माफी।	सरकार ने बीसीपीएल के 193.71 करोड़ रुपये के जीओआई ऋण को बही समायोजन के तहत माफ कर दिया है। भूमि का भौतिक सत्यापन हो चुका है और हस्तांतरण विलेख तैयार कर लिया गया है। ट्रांसफर के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।
5.	एचएएल की 3.5 एकड़ की अधिशेष भूमि को ईपीएफओ को बेचना	एचएएल की 3.5 एकड़ भूमि ईपीएफओ को 42 करोड़ रुपए में बेची गई।
6.	पीएसयू को सम्पत्ति का वास्तविक न्यूनतम मूल्य जानने के लिए पीएसयू के सम्पत्ति का थर्ड पार्टी मूल्यांकन	फार्मा पीएसयू के परिसम्पत्ति अलग मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र सम्पत्ति मूल्यांकक के चयन के लिए माननीय सचिव की अध्यक्षता में दीपम और विभाग के सदस्यों की 25.11.2021 की एक समिति बनाई गई। समिति की सिफारिश पर स्वतंत्र सम्पत्ति मूल्यांकक के लिए प्रस्ताव संबंधी अनुरोध (आरएफपी) जारी की जा रही है।

<u>पीएसयू को सहायता (ऋण) योजना-एमएच 6857</u>

4.3 प्रस्तावित और स्वीकृत बजट अनुमान आवंटन (2022-23) को ध्यान में रखते हुए समिति ने पीएसयू (ऋण) एमएच 6857 को सहायता के तहत, 8021.48 करोड़ रुपये की बहुत अधिक भिन्नता के कारण के बारे में समिति ने पूछा क्योंकि प्रस्तावित बजट अनुमान 8026.78 करोड़ रुपये है और वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा बजट अनुमान चरण पर आबंटित निधि केवल 5.30 करोड़ रुपये

है। आईडीपीएल और एचएएल के संबंध में बहुत अधिक आबंटन की मांग के कारण के बारे में औषध विभाग ने लिखित उत्तर में कहा-

''पीएसयू डिवीजन ने विभिन्न बकाया देनदारियों जैसे विभिन्न बैंकों की सुरक्षित देनदारियों और आईडीपीएल और एचएएल के संबंध में अन्य असुरक्षित देनदारियों को पूरा करने के लिए 8026.78 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया क्योंकि इसे 2019 में प्रदान की गई 330.35 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन के तहत मंत्रिमंडल की सिफारिश के अनुसार कवर नहीं किया गया था। तथापि, प्रस्तावित राशि के विरूद्ध मात्र 5.30 करोड़ रुपये, आकस्मिक व्यय, अदालती मामलों आदि को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि बजट अनुमान 2022-23 में प्रदान की गई है।''

4.4 जब समिति ने फार्मा पीएसयू ऋण पर दिनांक 28.12.2016 और बाद में दिनांक 17.07.2019 के कैबिनेट के फैसले के पश्चात कि बंद/घाटे में चल रहे पीएसयू पर होने वाले व्यय को कर्मचारी की देनदारियों (वेतन/वीआरएस) को पूरा करने के लिए सार्वजनिक उद्यम (डीपीई) के दिनांक 14.06.2018 के दिशा-निर्देश के अनुसार सरकारी एजेंसियों और अन्य संस्थाओं को फार्मा पीएसयू की भूमि की बिक्री से पूरा किया जाना है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता (ऋण) योजना के अंतर्गत निधि की मांग के लिए विभाग के प्रस्ताव के बारे में पूछा तब औषध विभाग ने लिखित में उत्तर में निम्नवत बताया:

''जैसा कि मंत्रिमंडल द्वारा तय किया गया है फार्मा पीएसयू को बंद करने या रणनीतिक विनिवेश से पहले कर्मचारियों की देनदारियों सहित पहले लंबित देनदारियों के निपटान या तुलन पत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक उपक्रमों की भूमि की लंबित बिक्री, और चूंकि आरडीपीएल और आईडीपीएल का संचालन बंद कर दिया गया है और एचएएल घाटे में चल रहा पीएसयू है, वीआरएस सहित कर्मचारियों के लंबित वेतन और सेवानिवृत्ति के बकाया को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता मांगी गई है।''

4.5 जब समिति ने आगे यह पूछा कि विभाग ने इंडियन ड्रग्स एंड औषध लिमिटेड (आईडीपीएल) के लिए 6988.50 करोड़ रुपये और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के लिए 1038.24 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया है, हालांकि 2022-23 के लिए बजट अनुमान चरण पर आबंटित राशि क्रमशः केवल 4.00 करोड़ रुपये और 1.26 करोड़ रुपये है। समिति ने प्रस्तावित एवं स्वीकृत आबंटन में भिन्नता के कारण और लंबित वेतन/नियमित कर्मचारियों के वीआरएस/ईपीएफओ को भुगतान और कर्मचारियों

के अन्य दावों के भुगतान पर इसके प्रभाव के बारे में पूछा, तब औषध विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया :

''पीएसयू डिवीजन ने विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों और असुरक्षित देनदारियों की बकाया देनदारियों जैसी विभिन्न देनदारियों को पूरा करने के लिए आईडीपीएल (6988.50 करोड़ रुपये) और एचएएल (1038.24 करोड़ रुपये) द्वारा मांगी गई धनराशि का प्रस्ताव दिया है।आईडीपीएल, एचएएल और आरडीपीएल के लंबित कर्मचारियों के बकाया (सेवारत/सेवानिवृत्त/वीआरएस) को वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में ऋण के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करके निपटाया गया है और एचएएल कर्मचारियों के ईपीएफओ ब्याज भुगतान (76 करोड़ रुपये) को 2021-22 में जारी किया गया। बजट अनुमान 2022-23 में एचएएल और आईडीपीएल के लिए आकस्मिक व्यय, अदालती मामलों आदि को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि प्रदान की गई है।''

4.6 वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान चरण में बंगाल केमिकल्स एंड औषध (बीसीपीएल) और राजस्थान ड्रग्स एंड औषध लिमिटेड (आरडीपीएल) के लिए केवल 0.01 करोड़ रुपये के टोकन आबंटन की मांग करने का औचित्य के बारे में विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् स्पष्टीकरण दिया:

''बीसीपीएल के पास कोई कर्मचारी बकाया/अन्य देनदारियां नहीं हैं और कंपनी द्वारा कोई धन नहीं मांगा गया है।आरडीपीएल के संबंध में, मंत्रिमंडल के निर्णय दिनांक 17.07.2019/सीओएम दिनांक 27.05.2021 के अनुसार कर्मचारियों के लंबित सेवानिवृत्ति देय राशियों के भुगतान के लिए निधि जारी कर दी गई है। इसके अलावा, राजस्थान राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें आरडीपीएल को उस राज्य में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है, जो सरकार के विचाराधीन है। जैसे, बीई-2022-23 में आरडीपीएल के लिए कोई निधि नहीं मांगी गयी है।''

4.7 आगे औषध विभाग ने कर्मचारियों के वेतन और अन्य लंबित भुगतान देयताओं की मंजूरी सहित आईडीपीएल, आरडीपीएल, एचएएल और बीसीपीएल के कामकाज/बंद करना/रणनीतिक बिक्री/पुनरुद्धार की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया:

''इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)-पुनरुद्धार राशि

वर्ष 1994 में बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना विफल रही क्योंकि परिकल्पना के अनुसार पूर्ण धनराशि जारी नहीं की जा सकी, पूंजी पुनर्गठन नहीं किया गया; बैंकों ने पर्याप्त कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया; कार्यशील पूंजी निधियों को अनुषंगी इकाइयों के नियत व्ययों को पूरा करने के लिए व्यपवर्तित किया गया और भूमि की बिक्री नहीं की जा सकी। बीआईएफआर ने दिसंबर, 2003 में कंपनी के समापन का आदेश दिया। औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) के निर्देशों के अनुसार, कंपनी के पुनरुद्धार के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया था। इसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के समक्ष रखा गया और मंत्री समूह (जीओएम) को भेजा गया, जिसने 11.10.2007 को हुई अपनी बैठक में सलाह दी कि आईडीपीएल की पुनरुद्धार योजना जनहित के लक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए और कंपनी की व्यवहार्यता सुनिश्चित करनी चाहिए। उसके बाद, आईडीपीएल ने व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए मैसर्स ईएंडवाई को सलाहकार नियुक्त किया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक संशोधित अद्यतन ऋण पुनर्गठन योजना तैयार की गई थी। बाद में इस मामले पर तीन वरिष्ठ मंत्रियों की एक समिति द्वारा विचार किया गया और उनकी सिफारिशों के आधार पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28.12.2016 को सरकारी एजेंसियों को अधिशेष भूमि की बिक्री से अपनी सभी देनदारियों को पूरा करने के बाद कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।''

<u>वर्तमान स्थिति</u>

i. ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल प्लांट को पुनः उत्तराखंड राज्य सरकार को वापस किया जाना है और वापसी के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

ii. सीओएम ने अन्य बातों के साथ-साथ आईडीपीएल प्लांट साइट-I, हैदराबाद से 50 एकड़ भूमि को नाईपर, हैदराबाद को 889.50 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर नियमित परिसर स्थापित करने के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी, ताकि आईडीपीएल/नाईपर, हैदराबाद को अनुमानित अनुदान को भारत सरकार के ऋण के लिए बही समायोजन हो सके। तद्नुसार विभाग द्वारा इस आशय के आवश्यक आदेश दिनांक 14.12.2021 को जारी किये गए।

iii. हैदराबाद और गुड़गांव में आईडीपीएल संयंत्र और इसकी सहायक कंपनियों को बंद करने की अनुवर्ती कार्रवाई चल रही है।

iv. मंत्रियों की समिति (सीओएम) के निर्देश के अनुसार, इसकी बैठक में दिनांक 27.05.2021, विभाग ने हैदराबाद और गुड़गांव में आईडीपीएल की फ्रीहोल्ड भूमि की संपत्ति के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए फ्लोटिंग रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) के लिए कदम उठाए हैं ताकि जमीन की बिक्री से पहले वास्तविक न्यूनतम मूल्य प्राप्त किया जा सके।

आईडीपीएल को जारी राशि:-

(क) कैबिनेट के दिनांक 17.07.2019 के फैसले के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में कर्मचारियों की देनदारियों / वीआरएस को पूरा करने के लिए ऋण के रूप में 6.50 करोड़ रुपये जारी किए गए

(ख) ओडीसीएल कर्मचारियों के वीआरएस बकाया को पूरा करने के लिए ऋण के रूप में 70 लाख रुपए जारी किए गए

(ग) कंपनी के क्वार्टर का खाली करने पर आईडीपीएल ऋषिकेश और चेन्नई संयंत्रों के पूर्व कर्मचारियों की बकाया राशि वापस करने के लिए ऋण के रूप में 1.30 करोड़ रुपये जारी किए गए।

राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल)-पुनरुद्धार पैकेज

अक्तूबर, 2016 में कम्पनी में आग लग जाने के कारण कम्पनी में उत्पादन बन्द हो गया। कम्पनी ने उत्पादन शुरू करने के लिए एक पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की। हालांकि, तीन वरिष्ठ मंत्रियों की सिफारिश के आधार पर, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 28.12.2016 को सरकारी एजेंसियों को अधिशेष भूमि की बिक्री से इसकी देनदारियों को पूरा करने के बाद कम्पनी को बंद करने का निर्णय लिया।

वर्तमान स्थिति

आरडीपीएल को राजस्थान राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव विभाग में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

आरडीपीएल को जारी राशि:-

i. कर्मचारियों के बकाया वेतन / वीआरएस देनदारियों को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में ऋण के रूप में दिनांक 17.07.2019 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित 43.70 करोड़ रुपये।

ii. आरडीपीएल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी और अन्य अनुलाभों और भत्तों के भुगतान के लिए 2021-22 में जारी सीओएम द्वारा स्वीकृत 21.00 करोड़ रुपये।

<u>हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल) - पुनरुद्धार पैकेज</u>

वर्ष 2007 में 137.59 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूर दी गई। इसके अलावा, सरकार ने लगभग 118.26 करोड़ रुपए की ऋण और ब्याज राशि को माफ कर दिया। हालांकि पुनरुद्धार योजना सफल नहीं हो सकी। कंपनी ने वर्ष 2014 में द्वितीय पुनर्वास योजना प्रस्तुत की। मंत्रिमंडल ने 21.12.2016 को हुई अपनी बैठक में भारत सरकार के ऋण और ब्याज की राशि 307.23 करोड़ रुपये (मूलधन-186.96 करोड़ रुपए और ब्याज-120.27 रुपए), विभिन्न बकाया राशि 128.68 करोड़ रुपए को माफ करने का निर्णय लिया और वेतन, मजदूरी और महत्वपूर्ण खर्चों के भुगतान के लिए स्वीकृत 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इसके बाद, तीन वरिष्ठ मंत्रियों की सिफारिश के आधार पर, दिनांक 28.12.2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी एजेंसियों को अधिशेष भूमि की बिक्री से अपनी सभी देनदारियों को पूरा करने के बाद कंपनी को रणनीतिक रूप से बेचने का फैसला लिया।

<u>एचएएल को जारी राशि</u>

i. एचएएल (87.70 एकड़), एचएएल की 3.5 एकड़ जमीन ईपीएफओ को 42 करोड़ रुपये के तय मूल्य पर बेची गई है।

ii. दिनांक 27.05.2021 की मंत्रियों की समिति (सीओएम) के निर्देश के अनुसार शेष अधिशेष भूमि को स्वतंत्र मूल्यांकन के बाद बिक्री के लिए लिया जाना है। विभाग ने शेष अधिशेष भूमि की बिक्री से पहले वास्तविक न्यूनतम मूल्य पर पहुंचने के लिए एचएएल की कुल भूमि के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) के लिए कदम उठाए हैं।

<u>वर्तमान स्थिति</u>

(क) 17.07.2019 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित 280.15 करोड़ रुपये (134.35 करोड़ रुपये - कर्मचारियों की बकाया + 145.80 करोड़ रुपये- वीआरएस) को वित्त वर्ष 2019-20 में जारी किया गया था।

(ख) सीओएम द्वारा अनुमोदित 118.00 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2021-22 में जारी किए गए थे। - ईपीएफओ रुपये (ब्याज राशि) को भुगतान के लिए 76.00 करोड़ रुपए, एचएएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों / वीआर कर्मचारियों के चिकित्सा दावों, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, एलटीसी दावे के भुगतान के लिए 42.00 करोड़ रुपए।

<u>बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)-पुनरुद्धार पैकेज</u>

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2006-07 में 440.60 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें 233.41 करोड़ रुपये ऋण की माफी और 31-03-2005 की स्थिति के अनुसार पिछले ऋणों पर ब्याज और 207.19 करोड़ रुपये निधियों के इन्फ्यूशन के लिए शामिल हैं।

<u>वर्तमान स्थिति</u>

दिनांक 27.05.2021 की अपनी बैठक में मंत्रियों की समिति (सीओएम) ने अन्य बातों के साथ-साथ 345.24 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर नियमित परिसर स्थापित करने के लिए पानीहाटी, कोलकाता में बीसीपीएल की 20.55 एकड़ भूमि को नाईपर कोलकाता को हस्तांतरित करने और भारत सरकार ने बीसीपीएल को उपार्जित ब्याज के साथ 193.71 करोड़ रुपये के ऋण को माफ़ करने की मंजूरी दी थी। तद्नुसार विभाग द्वारा इस आशय के आवश्यक आदेश दिनांक 14.12.2021 को जारी किए गए है। सामरिक बिक्री का मुद्दा माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता में विचाराधीन है। विभाग द्वारा मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

4.8 अनुदानों की मांगों 2022-23 पर मौखिक साक्ष्य के दौरान औषध विभाग के एक प्रतिनिधि ने विभाग के अंतर्गत आने वाले पीएसयू के बारे में समिति को निम्नवत् बताया:

''इस विभाग के पास पांच पीएसयू-इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और बंगलोर केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हैं। पिछले लगभग पांच वर्षों से

सरकार ने समय-समय पर कई निर्णय लिये। मैं, अब लिए गए विभिन्न निर्णयों से अवगत कराना चाहता हूं। मंत्रियों के एक समूह के सिफारिश के आधार पर दिसम्बर, 2016 में चार पीएसयू-नामत: आईडीपीएल, आरडीपीएल, एचएएल और बीसीपीएल के सम्बन्ध में एक निर्णय लिया गया। यह निर्णय लिया गया कि हमें सबसे पहले बकाया सभी देयताओं को पूरा करने के लिए अधिशेष भूमि या सम्पत्ति की बिक्री करनी चाहिए तब दो पीएसयू नामत: आईडीपीएल और आरडीपीएल को बन्द करना चाहिए और दो अन्य पीएसयू बीसीपीएल और एचएएल के रणनीतिक विनिवेश करना चाहिए। तत्पश्चात 2019 में, उस समय से सम्पत्ति की बिक्री के सम्बन्ध में डीपीए से नई गाइडलाइन जारी की गई थी, 2018 में इस नए गाइडलाइन का पालन करने क लिए निर्णय में थोड़ा परिवर्तन किया गया था। कैबिनेट ने सभी बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए 330.35 करोड़ की बजटीय सहायता की सिफारिश की। पीएसयू के बन्द या रणनीतिक बिक्री, जिसमें बकाया देयताओं को पूरा करना भी शामिल है, से सम्बन्धित सभी निर्णय लेने के लिए मंत्रियों की एक समिति भी बनाई गई। जैसा कि आपने देखा, केएपीएल एक संयुक्त कम्पनी है। भारत सरकार क पास 59 प्रतिशत शेयर है और कर्नाटक सरकार के पास केएसआईआईडीसी के माध्यम से 41 प्रतिशत शेयर है। सीसीईए ने 2017 में यह निर्णय लिया कि भारत सरकार को इसके 100 प्रतिशत शेयर अपने पास रखने चाहिए। मई, 2021 में मंत्रियों की समिति की बैठक हुई थी और कई निर्णयों की अद्यतन जानकारी देंगे और अब तक हमने क्या किया है, इसके बारे में बताएंगे।

पहला आरडीपीएल और एचएएल के रिटार्यड कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करने के लिए 139 करोड़ की एक बजटीय सहायता की सिफारिश की गई। इसलिए हमने पहली अनुपूरक अनुदानों की मांगों 2021-22 में धनराशि प्राप्त हो चुकी है और हमने रिटायर्ड कर्मचारियों के बकाए के भुगतान हेतु धनराशि जारी भी कर दी है। दूसरा, ऋृषिकेश में स्थित आरडीपीएल के पट्टे की 833.38 एकड़ की भूमि को वापस किया गया। आरडीपीएल के पास तीन स्थानों पर भूमि है-गुरुग्राम, हैदराबाद और ऋृषिकेश। ऋृषिकेश की भूमि पट्टे वाली भूमि है। डीपीई गाइडलाइन के अनुसार, हमें पट्टे की भूमि को सम्बन्धित राज्य सरकार को वापस करना है। तीसरा निर्णय-आईडीपीएल की हैदराबाद की प्लांट साइट की 50 एकड़ की भूमि को नाईपर को हस्तांतरण से सम्बन्धित था। इसका मूल्यांकन 889.5 करोड़ रुपए है। भारत सरकार ने आईडीपीएल के ऋृण को बही समायोजन के तहत माफ कर दिया है हस्तांतरण प्रक्रिया चालू है और राजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है। चौथा निर्णय बीसीपीएल के 20.54 एकड़ के अधिशेष भूमि के हस्तांतरण से सम्बन्धित है। यह प्रक्रिया चालू है और सरकार ने बीसीपीएल के 193.71 करोड़ रुपए के ऋृण को भी बही समायोजन के तहत माफ

कर दिया है। एचएएल के सम्बन्ध में, 3.5 एकड़ के अधिशेष भूमि को ईपीएफओ को बेचने से सम्बन्धित निर्णय लिया गया था। यह भूमि ईपीएफओ को बेच दी गई और हमें 42 करोड़ की तय राशि प्राप्त हुई। पांचवा निर्णय पीएसयू के सम्पत्तियों के बिक्री से सम्बन्धित था। समिति ने सिफारिश की कि हमें इसका थर्ड पाटी मूल्यांकन करवाना चाहिए ताकि हमें सम्पत्ति के वास्तविक न्यूनतम मूल्य के बारे में पता चल सके और तत्पश्चात्, भूमि की बोली लगानी चाहिए। उसके लिए हमने माननीय सचिव की अध्यक्षता और डीपम के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया। समिति ने आरएफपी की स्वीकृति दी है। इसलिए, हम आरएफपी जारी करने की प्रक्रिया में हैं।

4.9 आगे औषध विभाग के सचिव ने मौखिक साक्ष्य के दौरान एचएएल के पुनरुद्धार के लिए शुरू नई पहलों और केएपीएल के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) के तहत प्राप्त हो रहे लाभों का भी स्पष्टीकरण किया जा निम्नवत् है:-

''माननीय सदस्य ने पीएसयू के बारे में पूछा। एचएएल ने पुनरुद्धार का दो बार प्रयास किया। दूसरी बार, 2016 में इसकी रणनीतिक बिक्री तय की गई। हमने यह किया । अब हम बिक्री-साझेदार की तलाश कर रहे हैं लेकिन उसके लिए भारत सरकार ने नई दिशानिर्देश जारी किये हैं। हम इसके तहत कार्य करने जा रहे हैं। रणनीतिक बिक्री का मतलब एक प्रकार का पुनरुद्धार है जिससे हम इसमें कुछ निजी निवेश लाकर कम्पनी को ज्यादा मजबूत बनाते हैं। यहां एचएएल के लिए एमडी है। उन्होंने एचएएल में नए उत्पादों को पेश करने का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। उन्होंने कोविड क सन्दर्भ में कई नए उत्पाद बनाने शुरू किये हैं। उन्होंने एचएएल के मार्केटिंग कौशल को भी मजबूत किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सभी प्रयास किये जा रहे हैं। केवल केएपीएल ने पीएलआई में आवेदन किया था इसलिए हमने केएपीएल को पीएलआई में लिया है।

4.10 गत दस वर्षों 2010-11 से 2020-21 तक सभी पांच पीएसयू के समझौता ज्ञापन मूल्यांकन रेटिंग के सम्बन्ध में, विभाग ने निम्नलिखित सूचनाएं पेश किया:

''केन्द्रीय केबिनेट के निर्णय के अनुसार, आईडीपीएल और माईडीपीएल बन्द होने वाले हैं और शेष तीन पीएसयू के बारे में आंकड़े निम्नवत् हैं:

केएपीएल

केएपीएल हर साल औषध विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करता है। पिछले 10 वर्षों के लिए एमओयू रेटिंग इस प्रकार हैं:

वर्ष	रेटिंग
2010-11	उत्कृष्ट
2011-12	बहुत अच्छा
2012-13	बहुत अच्छा
2013-14	अच्छा
2014-15	बहुत अच्छा
2015-16	बहुत अच्छा
2016-17	बहुत अच्छा
2017-18	ख़राब
2018-19	अच्छा
2019-20	बहुत अच्छा
2020-21	अच्छा

बीसीपीएल : पिछले दस वर्षों की मूल्यांकन रेटिंग इस प्रकार हैं:

वर्ष	रेटिंग
2020-21	उपलब्ध नही#
2019-20	उपलब्ध नहीं$
2018-19	उपलब्ध नहीं$
2017-18	उपलब्ध नहीं$
2016-17	बहुत अच्छा
2015-16	उत्कृष्ट
2014-15	अच्छा
2013-14	ख़राब

2012-13	ख़राब
2011-12	ख़राब
2010-11	ख़राब

:- डीपीई के निर्देशानुसार बीसीपीएल ने डीपीई के ऑनलाइन एमओयू पोर्टल पर सभी आवश्यक जानकारी जमा कर दी है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सरकार की ओर से लंबित है।

$:- बीसीपीएल की सामरिक बिक्री के संबंध में दिनांक 28 दिसंबर, 2016 के मंत्रिमंडल निर्णय के कारण। प्रशासनिक मंत्रालय ने एफ.सं.53017/10/2017-पीएसयू (पीटी) दिनांक 28 जून, 2017 के पत्र के माध्यम से डीपीई को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए बीसीपीएल को छूट देने के लिए अभ्यावेदन दिया।

एचएएल: मूल्यांकन रेटिंग इस प्रकार हैं:

वर्ष	**रेटिंग**
2020-21	अच्छा
2019-20	ठीक
2018-19	ख़राब
2017-18	अच्छा
2016-17	अच्छा
2015-16	ख़राब

पीएसयू (ऋण) बजट उपयोग को सहायता (2021-22)

4.11 आईडीपीएल, एचएएल और आरडीपीएल के लिए 04.01.2022 की स्थिति के अनुसार वास्तविक उपयोग वर्ष 2021-22 के दौरान सं.अ. चरण में 2.00 करोड़ रुपये, 122.09 करोड़ रुपये और 24.00 करोड़ रुपये की आवंटित राशि के मुकाबले क्रमशः 0.70 करोड़ रुपये, 118.00 करोड़ रुपये और 21.00 करोड़ रुपये है। इस संबंध में समिति द्वारा पूछे जाने पर कि क्या विभाग वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक धनराशि का पूर्ण उपयोग कर पाएगा, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:

''जी हाँ, पहली अनुदान की अनुपूरक मांग **2021-22** में एचएएल को **118** करोड़ रुपये और आरडीपीएल को **21** करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पहले ही दिनांक **28.10.2021** के मंजूरी

आदेश के तहत जारी किए जा चुके हैं।बजट अनुमान-**2021-22** में आवंटित **9.12** करोड़ रुपये के मुकाबले **6.09** करोड़ रुपये का पहले ही उपयोग किया जा चुका है। पुनर्विनियोग आदेश प्राप्त करने के बाद आरडीपीएल से आईडीपीएल को **300** करोड़ रुपये का पुन: विनियोजन करने का प्रस्ताव है। शेष **3** लाख रुपये (बीसीपीएल, बीआईएल और एसएसपीएल के संबंध में प्रत्येक को **1** लाख रुपये) को टोकन राशि के रूप में अध्यर्पित करने का प्रस्ताव है।''

<u>वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान की पहली मांग और पीएसयू स्कीम के समर्थन पर इसका प्रभाव</u>

4.12 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रस्तावित अनुपूरक अनुदान की पहली मांग का प्रस्ताव इस प्रकार है:

		(करोड़ रुपये में)
	वित्त वर्ष 2021-22 में अनुपूरक अनुदान की मांग के लिए प्रथम बैच के तहत प्रस्ताव	
	राजस्व	**पूंजी**
बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स मुख्य शीर्ष 2852	193.71	
इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड मुख्य शीर्ष 2852	889.50	
हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) मुख्य शीर्ष 6857		118.00
राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) मुख्य शीर्ष 6857		21.00
कुल	**1083.21**	**139.00**

4.13 वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग के पहले बैच में 1222.21 करोड़ रुपये के कुल नकद पूरक को मंजूरी दी है। जिसमें से इंडियन इग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) (889.50 करोड़ रुपये) के ऋण की माफी के लिए राजस्व अनुभाग के तहत 1083.21 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे, जबकि आईडीपीएल प्लांट साइट-1, हैदराबाद से 50 एकड़ भूमि को राष्ट्रीय संस्थान को हस्तांतरित किया गया था। (ii) राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाइपर), कोलकता को 345.24 करोड़ के आरक्षित मूल्य पर 20.55 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के मुकाबले बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के भारत सरकार के ऋण (107.49 करोड़ रुपये) और अर्जित ब्याज (86.22 करोड़) तथा पूंजी सेक्शन एमएच 2852 के तहत अनुपूरक बजट

(2021-22) में एचएएल (118.00 करोड़ रुपये) और आरडीपीएल (21.00 करोड़ रुपये) कर्मचारियों की बकाया देनदारियों के भुगतान हेतु दिए गये।

4.14 इस सम्बन्ध में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान एचएएल के लिए 118.00 करोड़ रुपये और आरडीपीएल के लिए 21.00 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के संबंध में विभाग द्वारा मांगे गए अनुपूरक अनुदान के उपयोग की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने लिखित उत्तर में निम्नवत् कहा:

(एक) ''2021-22 के अनुदान के लिए पहली अनुपूरक मांगों में स्वीकृत 118.00 करोड़ रुपये एचएएल को डीओपी मंजूरी आदेश दिनांक 28.10.2021 के तहत ऋण के रूप में जारी किए गए थे। ईपीएफओ (ब्याज राशि) के भुगतान के लिए 76.00 करोड़ रुपये और एचएएल सेवानिवृत्त कर्मचारियों/वीआर कर्मचारियों के चिकित्सा दावों, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, एलटीसी दावे के भुगतान के लिए 42.00 करोड़ रुपये।

(दो) 2021-22 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों में स्वीकृत 21.00 करोड़ रुपये, आरडीपीएल को डीओपी स्वीकृति आदेश दिनांक 28.10.2021 द्वारा आरडीपीएल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण, उपदान और अन्य अनुलाभों के भुगतान के लिए जारी किये गए।''

4.15 आगे समिति ने लाभ कमाने वाली बीसीपीएल की भावी विस्तार परियोजनाओं के संबंध में जानकारी और नाईपर कोलकाता को 20.55 एकड़ भूमि हस्तांतरण बीसीपीएल की भविष्य की परियोजनाओं के लिए आवश्यक अधिशेष भूमि पूल को कैसे प्रभावित करेगा, के बारे में पूछा, तब विभाग ने अपने लिखित जवाब में बताया कि ''बीसीपीएल ने पानीहाटी, कोलकाता में उक्त 20.55 एकड़ भूमि की बिक्री के लिए अधिशेष के रूप में पहचान की है। इसके अलावा, मानिकतला में एंटी स्नेक वेनम सीरम प्लांट (एएसवीएस) की स्थापना जैसी विस्तार योजना प्रस्तावित है। इस प्रकार, पानीहाटी, कोलकाता में नाईपर, कोलकाता को 20.55 एकड़ भूमि का हस्तांतरण भविष्य की विस्तार योजना को प्रभावित नहीं करेगा।''

टिप्पणियां/सिफारिशें

<u>सिफारिश संख्या 1 : औषध विभाग के लिए बजटीय आवंटन</u>

समिति नोट करती है कि विभाग द्वारा इस वर्ष के लिए प्रस्तावित 10383.25 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले 2022-23 के बजट अनुमान (बीई) चरण में औषध विभाग के लिए 2244.15 करोड़ रुपये का सकल बजटीय आवंटन किया गया है। तुलनात्मक दृष्टि से 2600.52 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय की तुलना में वर्ष 2021-22 का सकल बजटीय आवंटन 470.41 करोड़ रुपये था जो कि विभाग द्वारा प्रस्तावित परिव्यय का केवल 18% था और इस बार यह बढ़कर 21.6 प्रतिशत हो गया है। भले ही वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक आवंटन विभाग की मांग की तुलना में बहुत कम है, इस आवंटन का बड़ा हिस्सा विभाग की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए दिया गया है। विभाग की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 2313.02 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की तुलना में 2202.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। "औषध उद्योग के विकास" से संबंधित शीर्षों के लिए विभाग की 1767.02 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 1729.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। " सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता" के पूंजी खंड के तहत विभाग ने 8026.78 करोड़ रुपये की मांग की, लेकिन 2022-23 के बजट अनुमान स्तर पर केवल 5.30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। चूंकि विभाग की विकास योजनाओं को लागू करने के लिए अनुदान की मांग बजटीय आवंटन से लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए समिति को लगता है कि अब गेंद विभाग के पाले में है। पिछले वर्षों के भिन्न, इस वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा बजटीय आवंटन की अपेक्षित राशि दिए जाने से विभाग के हाथ मजबूत हुए हैं। अब विभाग को अपनी सभी विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से अपनी काबिलियत साबित करनी है। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि विभाग द्वारा उन सभी विकासात्मक योजनाओं के संबंध में मासिक प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों के साथ एक वार्षिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसके लिए प्रमुख शीर्ष 2852 और 2552 के तहत बजटीय आवंटन की अपेक्षित राशि प्रदान की गई है और इस वर्ष के लिए किए गए बजटीय आवंटन के समय पर और संसाधनपूर्ण उपयोग के लिए प्रत्येक विकासात्मक योजनाओं के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। प्रत्येक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रभावी निगरानी विभाग में उच्चतम स्तर पर की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को वर्ष 2022-23 के दौरान बजटीय आवंटन का

पूरा उपयोग करके समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए। इस संबंध में की गई प्रगति की सूचना समिति को दी जानी चाहिए।

<u>सिफारिश संख्या 2: राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) के लिए परिसरों का निर्माण</u>

समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए 440 करोड़ रुपये विभाग के प्रस्ताव की तुलना में एनआईपीईआर (प्रमुख शीर्ष 2552 + 2852 में) के लिए 395.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटित राशि का उपयोग रायबरेली, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद और हाजीपुर में एनआईपीईआर के परिसरों के निर्माण और संस्थानों के उपकरणों की खरीद/आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए भी किया जाएगा। जहां तक एनआईपीईआर परिसरों के निर्माण का संबंध है, विभाग ने अहमदाबाद एनआईपीईआर के संबंध में 100% निर्माण और हाजीपुर, हैदराबाद, रायबरेली और कोलकाता एनआईपीईआर के संबंध में 30% निर्माण पूरा करने का प्रस्ताव किया है।हाल ही में, समिति ने गुवाहाटी और कोलकाता में स्थित एनआईपीईआर का दौरा किया। गुवाहाटी के लिए स्थायी परिसर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, जबकि कोलकाता एनआईपीईआर छोटे किराए के परिसर में काम कर रहा था जो 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' के दर्जे के अनुरूप नहीं है। इसलिए, समिति महसूस करती है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हाजीपुर, हैदराबाद, रायबरेली और कोलकाता स्थित एनआईपीईआर के लिए अत्याधुनिक स्थायी परिसरों को समयबद्ध तरीके से बनाया जाए ताकि वे 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' को सही भावना से कार्य करने में सक्षम हो सके। इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि इन चार एनआईपीईआर के लिए स्थायी परिसरों का निर्माण दो वर्षों के भीतर पूरा किया जाए। विभाग ने अब इस उद्देश्य के लिए आवंटित बजटीय निधि से 2022-23 के दौरान निर्माण का 30% प्रतिशत कार्य पूरा करने का प्रस्ताव रखा है। इसके बजाय विभाग 2022-23 के दौरान सभी चार एनआईपीईआर के निर्माण का 50% कार्य पूरा करने की योजना बना सकता है और शेष निर्माण कार्य 2023-24 के दौरान पूरा किया जा सकता है। इन चार एनआईपीईआर अर्थात हाजीपुर, हैदराबाद, रायबरेली और कोलकाता के निर्माण के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता होने पर 2022-23 के दौरान संशोधित अनुमान के चरण में/पूरक मांगों के दौरान अतिरिक्त मांग की जा सकती है।_समिति की यह सिफारिश वित्त मंत्रालय को भी विचारार्थ भेजी जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए।

सिफारिश संख्या 3: राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के प्रदर्शन की निगरानी

समिति यह जानकर चिंतित है कि एनआईपीईआर ने 2021-22 के लिए 900 शोध प्रकाशनों के लक्ष्य के मुकाबले 15 फरवरी, 2022 तक केवल 602 शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हैं। इसी तरह, इस वर्ष के लिए 45 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 13 पेटेंट दायर/स्वीकार किए गए हैं। वर्तमान में मोहाली और गुवाहाटी में स्थित एनआईपीईआर बहुत अच्छी बुनियादी सुविधाओं के साथ स्थायी परिसरों में काम कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की संख्या, शोध पत्र प्रकाशन और पेटेंट दाखिल करने के मामले में उनका प्रदर्शन अन्य एनआईपीईआर की तुलना में बेहतर नहीं है, जिनमें वर्तमान में अच्छी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2022-23 के लिए, गुवाहाटी एनआईपीईआर ने 185 छात्रों, 140 शोध प्रकाशनों और केवल 8 पेटेंटों के लिए भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया है जो हैदराबाद, मोहाली और अहमदाबाद एनआईपीईआर से कम हैं। इस संबंध में, समिति उम्मीद करती है कि स्वयं के बुनियादी ढांचे और आवश्यक संख्या में संकायों वाले एनआईपीईआर को दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि औषध विभाग को नियमित रूप से एनआईपीईआर के प्रदर्शन की निगरानी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों की संख्या, शोध प्रकाशन और पेटेंट के संबंध में निर्धारित लक्ष्य उनके द्वारा अनिवार्यरूपेण प्राप्त किए जाते हैं। विभागीय स्तर पर प्रत्येक एनआईपीईआर के प्रदर्शन की त्रैमासिक समीक्षा की जानी चाहिए और एनआईपीईआर को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को विभाग द्वारा दूर किया जाए।

सिफारिश संख्या 4: राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसंधान और विकास में सहायता

समिति यह भी नोट करती है कि एनआईपीईआर वर्तमान में संवृत वातावरण में कार्य कर रहे हैं, जिससे आम जनता का कोई सरोकार नहीं है। औषध विभाग के अनुसार, एक सामान्य अनुसंधान कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके तहत देश के लोगों के सामने आने वाली सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं को एनआईपीईआर द्वारा सामान्य शोध के लिए पहचाना गया है। निजी क्षेत्र की प्रमुख दवा कंपनियों की अपनी अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं हैं लेकिन औषध क्षेत्र के मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) में उनकी कमी है। चूंकि एनआईपीईआर के लिए औषध अनुसंधान में उत्प्रेरक की भूमिका निभाना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए समिति निम्नलिखित सिफारिशें करना चाहती है: -

तैयार किया जाना चाहिए और एनआईपीईआर द्वारा सामान्य अनुसंधान के लिए देश के स्वास्थ्य संबंधी कुछ क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है।

सकते हैं और इस संबंध में औषध विभाग द्वारा एनआईपीईआर के समन्वय से एक व्यावहारिक मॉडल तैयार किया जा सकता है।

<u>सिफारिश संख्या 5 : राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में संकाय पदों को भरना</u>

समिति नोट करती है कि व्यय विभाग ने फरवरी, 2019 में एनआईपीईआर के लिए 156 संकाय पद सृजित किए हैं। वर्तमान में संकाय के 70% पद भरे जा चुके हैं और शेष प्रक्रियाधीन हैं। चूंकि एनआईपीईआर के प्रभावी प्रदर्शन के लिए आवश्यक संख्या में संकाय सदस्यों की उपलब्धता बहुत आवश्यक होता है, समिति सिफारिश करती है कि सभी एनआईपीईआर के लिए आवश्यक संख्या में संकाय की भर्ती की प्रक्रिया संकायों के सभी स्वीकृत पदों की भर्ती हो जाने तक एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। इस संबंध में की गई प्रगति के बारे में समिति को सूचित किया जाए।

<u>सिफारिश संख्या 6 : पांच नए एनआईपीईआर की स्थापना</u>

समिति यह जानकर व्यथित है कि तमिलनाडु (मदुरै), कर्नाटक (बैंगलोर), छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में पांच नए एनआईपीईआर स्थापित करने का प्रस्ताव अभी भी कागज पर है और उन्हें स्थापित करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में, समिति यह नोट करती है कि विभाग ने व्यय वित्त समिति (ईएफसी) को अगले पांच वर्षों के लिए वर्तमान सात एनआईपीईआर और अतिरिक्त पांच एनआईपीईआर के लिए 4300.00 करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए कहा था। हालांकि, ईएफसी ने एनआईपीईआर के लिए केवल 1500 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, इस शर्त के साथ कि इस आवंटन का उपयोग केवल मौजूदा सात एनआईपीईआर के लिए किया जाना चाहिए। इस संबंध में, औषध विभाग ने अब इन एनआईपीईआर के वित्तपोषण के वैकल्पिक तरीकों का पता लगाने का प्रस्ताव रखा है। चूंकि औषधीय शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सात एनआईपीईआर की वर्तमान संख्या शायद ही पर्याप्त है, इसलिए समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि औषध विभाग द्वारा पांच नई एनआईपीईआर स्थापना के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इस संबंध में,

ईएफसी को उनके निर्णय पर पुनर्विचार के लिए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है और इस समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंता से उन्हें अवगत कराया जाए। विभाग इन एनआईपीईआर के वित्त पोषण के वैकल्पिक तरीकों का भी पता लगा सकता है जिसमें संघ और संबंधित राज्य सरकारों दोनों द्वारा वित्तीय योगदान शामिल है ताकि इन पांच एनआईपीईआर को भी समयबद्ध तरीके से विकसित और पूरा किया जा सके। इस संबंध में की गई प्रगति से समिति को अवगत कराया जाए।

<u>सिफारिश संख्या 7: प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)</u>

समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए फर्मास्यूटीकल विभाग को 100 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव की बजाय पीएमबीजेपी को 72.50 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन ही किया गया है। इस योजना के तहत, वर्ष 2022-23 के दौरान 1000 नए केंद्र खोलने और 1,800 दवाओं एवं 280 सर्जिकल उत्पादों को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, इस वर्ष के लिए 775.00 करोड़ रुपये के बिक्री लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। विभाग के अनुसार, बजट अनुमान स्तर पर आवंटित धनराशि पर्याप्त नहीं है और निधियों का कम आवंटन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करेगा। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। 15.02.2022 तक, देश में 8683 पीएमबीजेपी आउटलेट खोले गए हैं, जिनमें 1451 दवाओं और 240 सर्जिकल उत्पाद उपलब्ध हैं। इस संबंध में, समिति को लगता है कि देश में नौ लाख से अधिक मेडिकल दुकानों की तुलना में देश में पीएमबीजेपी के आउटलेट की संख्या <u>अपर्याप्त है</u>। इसके अतिरिक्त देश की वर्तमान जनसंख्या अर्थात लगभग 140.52 करोड़ के संबंध में यह नोट किया जाता है कि एक केन्द्र लगभग 16 लाख जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए, देश में पीएमबीजेपी आउटलेट की संख्या बढ़ाने और आउटलेट के प्रोडक्ट बास्केट को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि औषध विभाग को 2022-23 के संशोधित अनुमान स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शेष धनराशि (27.50 करोड़ रुपये) के आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय पर जोर डालना चाहिए। समिति की इस सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय को भी भेजी जानी चाहिए।

<u>सिफारिश संख्या 8: पीएमबीजेपी का कवरेज और उत्पाद बास्केट</u>

समिति नोट करती है कि देश के सभी 739 जिलों को पहले ही प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत कवर किया जा चुका है। योजना को लोकप्रिय बनाने और आकांक्षी जिलों, हिमालयी, द्वीप क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्रों के विस्तार के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। ऐसे केंद्रों को अब सामान्य प्रोत्साहनों के अलावा 2 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान मिलता है। फर्नीचर और फिक्स्चर की प्रतिपूर्ति के लिए 1.50 लाख रुपये और कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि की प्रतिपूर्ति के लिए 0.50 लाख रुपये अनुदान मिलता है। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) ने पीएमबीजेपी आउटलेट खोलने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए हैं। जुलाई, 2021 में विभिन्न राज्यों के उन 265 जिलों में पीएमबीजेपी आउटलेट खोलने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है जहां कवरेज कम है। चूंकि देश के लोगों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना के कवरेज के विस्तार हेतु निरंतर प्रयास किए जाने हैं, समिति निम्नलिखित सिफारिशें करना चाहती है: -

i) शहरी इलाकों में अधिक जन औषधि आउटलेट खोलने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए, विशेष रूप से उन झुग्गी बस्तियों और अन्य शहरी क्षेत्रों में और अर्ध शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, दूरदराज के क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां गरीब और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सघनता अधिक है, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को योजना का लाभ मिल सके।

ii) आकांक्षी जिलों, हिमालयी, द्वीप क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के उद्यमियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन की पेशकश उन सभी उद्यमियों को की जा सकती है जो देश के किसी भी हिस्से में पीएमबीजेपी आउटलेट स्थापित करने के लिए आगे आते हैं ताकि उनके लिए इसे आकर्षक बनाया जा सके।

iii) औषध विभाग और पीएमबीआई द्वारा प्रोत्साहन अवधि के बाद भी इन आउटलेट की निरंतर व्यवहार्यता पर एक अध्ययन/मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसमें जनऔषधि दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के साथ अन्य उत्पादों को बेचने की अनुमति की आवश्यकता भी शामिल है और अध्ययन/मूल्यांकन के परिणाम के अनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकती है।

iv) विभाग द्वारा पीएमबीआई और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के साथ मिलकर पीएमबीजेपी आउटलेट के माध्यम से बेची जा रही जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता, प्रभावकारिता और उसके किफायती दर के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन आउटलेट की ओर आकर्षित किया जा सके।

v) औषध विभाग, एनपीपीए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, चिकित्सकों को अत्यधिक ब्रांडेड दवाओं के बजाय गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए समन्वित प्रयास कर सकते हैं। यह सिफारिश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भी भेजी जा सकती है।

उपर्युक्त प्रत्येक सिफारिश के संबंध में की गई विशिष्ट कार्रवाई उत्तर दिया जाए।

<u>सिफारिश संख्या 9: औषध उद्योग को सुदृढ़ बनाने की योजना</u>

समिति ने नोट किया कि व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने तीन उप-योजनाओं को डी-लिंक करने की सिफारिश की है, जैसे (i) औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस); (ii) औषध उद्योग को सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता (एपीआईसीएफ) और (iii) औषध उद्योग के विकास की प्रमुख योजना से औषध प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (पीपीडीएस) और उन्हें एक अलग योजना के रूप में लागू किया जाना। तदनुसार, विभाग 'स्कीम फॉर स्ट्रेन्थेनिंग दी फर्मास्युटिकल इंडस्ट्री' नामक एक विशेष योजना लागू कर रहा है। उपर्युक्त तीन योजनाओं को इस नई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। विभाग के अनुसार इन तीनों योजनाओं को लागू करने के लिए ईएफसी ने पांच साल के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इस संबंध में, विभाग ने योजना दिशानिर्देशों पर पहुंचने से पहले हितधारकों से व्यापक परामर्श किया है, जिन्हें तदनुसार संशोधित किया जा रहा है और मंत्री के अनुमोदन के लिए रखा गया है। जैसा कि पिछले वर्ष समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, विभाग बिना किसी देरी के व्यवस्थित, पेशेवर और पारदर्शी तरीके से इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पेशेवर पीएमसी - परियोजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया में है। अगले पांच वर्षों के लिए सुनिश्चित वित्तीय आवंटन को ध्यान में रखते हुए, अब समिति को आशा है कि विभाग इन उप-योजनाओं के कार्यान्वयन के स्तर को बढ़ाएगा ताकि विभाग देश के लिए दवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सके। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि विभाग को मंत्री के अनुमोदन से योजना के संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के

लिए तेजी से कार्य करना चाहिए और प्रत्येक उप योजना को 2022-23 से अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में की गई प्रगति की सूचना से समिति को अवगत कराया जाना चाहिए।

<u>सिफारिश संख्या 10: औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)</u> समिति नोट करती है कि विभाग ने औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस) के लिए 100.00 करोड़ रुपये मांगे थे, लेकिन वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत बजट अनुमान आवंटन 62.00 करोड़ रुपये है। विभाग के अनुसार, प्रस्तावित और स्वीकृत बजट अनुमान आवंटन में इस अंतर का कारण ईएफसी अनुमोदन के अनुसार पीटीयूएएस के योजना दिशानिर्देशों का वर्तमान संशोधन है। स्वीकृत होने के बाद वित्त वर्ष 2022-23 में उपयुक्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान इस महत्वपूर्ण योजना के लिए केवल सांकेतिक आवंटन किया गया था। पहली बार, इस योजना को 2022-23 के बजट अनुमान चरण में 62.00 करोड़ रुपये की आवश्यक वित्तीय सहायता मिली है। पीटीयूएएस का उद्देश्य औषध मध्यम, लघु और सुक्ष्म उद्यम (फार्मा एमएसएमई) को डब्ल्यूएचओ-उत्तम निर्माण कार्यों के लिए गुणवत्ता और तकनीक दोनों के मामले में अपने मानकों का उन्नयन करने के लिए ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि फार्मा एमएसएमई गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन कर सकें और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनें। यह योजना इन उद्यमों को अनुसूची एम से डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मानकों में उन्नयन करने में सक्षम बनाती है ताकि वे वैश्विक बाजारों में निर्यात करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के योग्य हों। थोक और एपीआई दवाओं के निर्माण में 6790 एसएमई में से केवल 2006 डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणित हैं और 4500 से अधिक डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणन के दायरे से बाहर हैं। समिति यह नोट करने के लिए विवश है कि यह योजना पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सांकेतिक आवंटन के साथ कागज पर बनी रही। वर्ष 2022-23 के लिए किए गए धनराशि आवंटन के साथ, विभाग के लिए 2022-23 से इस योजना को लागू करने के लिए ठोस और समयबद्ध प्रयास शुरू करने का समय आ गया है। इसलिए, समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है:

i) योजना के दिशा-निर्देशों को शीघ्रता से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और 2022-23 के लिए आवंटित निधि का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

ii) उन्होंने योजना के क्रियान्वयन के लिए जरूरत होने पर और धनराशि की 2022-23 के संशोधित अनुमान स्तर पर मांग की जानी चाहिए।

iii) फार्मा क्षेत्र में लगे सभी एमएसएमई को डब्ल्यूएचओ जीएमपी मानकों के रूप में उन्नयन करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए क्योंकि उनके उन्नयन से देश के बहुत लाभ होगा और देश के लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर अन्य देशों में दवाओं के निर्यात का मार्ग प्रशस्त होगा।

<u>सिफारिश संख्या 11: सामान्य सुविधा केंद्र के लिए औषध उद्योग को सहायता (पहले क्लस्टर विकास के रूप में जाना जाता था)</u>

(क) समिति यह नोट करती है कि सामान्य सुविधा केंद्र (जिसे पहले क्लस्टर विकास के रूप में जाना जाता था) के लिए औषध उद्योग को सहायता योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में कार्यान्वित की जाती है। इस उप-योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधाओं के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि सामान्य परीक्षण केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, केन्द्रीय बहिस्त्राव शोधन योजना (सीईटीपी), कॉमन लोजिस्टिक सेंटर आदि। आगामी वर्ष 2022-23 के लिए, विभाग को 36.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो 2021-22 के दौरान संशोधित अनुमान (आर ई) के स्तर पर 15.61 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, 2021-22 के दौरान समिति ने पाया कि निधियों का बेहद कम उपयोग किया गया है। 11.02.2022 की स्थिति के अनुसार विभाग के पास संशोधित अनुमान स्तर पर उपलब्ध 15.61 करोड़ रुपये में से वास्तविक उपयोग केवल 9.6 प्रतिशत है जो 1.51 करोड़ रुपये है। इस संबंध में, समिति विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन को नोट करती है कि वे 31 मार्क से पहले कुछ परियोजनाओं के लिए धन जारी करेंगे। 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले योजना के तहत उपयोग की गई वास्तविक निधि के ब्योरे की सूचना समिति को दी जानी चाहिए। यह नोट करने के बाद कि इस योजना के तहत कुछ सामान्य बहिस्त्राव शोधन संयंत्र, परीक्षण प्रयोगशाला आदि अनुमोदन/कार्यान्वयन के चरणों में हैं, समिति ने सिफारिश की है कि 2022-23 के दौरान इन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने और चालू करने के

लिए और वर्ष के लिए आवंटित निधियों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए विभाग द्वारा ठोस और समयबद्ध कदम उठाए जाने चाहिए।

(ii) समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग को इस योजना के तहत पीपीपी परियोजनाओं के विस्तार के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया जा सके जहाँ निजी फार्मा उद्योगों की मजबूत उपस्थिति है और उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सके जो फार्मा उद्योगों को विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं।

<u>सिफारिश संख्या 12: औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन विकास योजना (पीएमपीडीएस)</u>

i. समिति यह नोट करती है कि औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन विकास योजना (पीएमपीडीएस) का उद्देश्य संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के आयोजन, अध्ययन/परामर्श आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके औषध क्षेत्र में संवर्धन, विकास और निर्यात संवर्धन करना है। फिलहाल विभाग द्वारा नई योजना के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान (आर ई) के स्तर पर 2.00 करोड़ रुपये के आवंटन में से विभाग ने 11.02.2022 तक केवल 1.01 करोड़ रुपये का उपयोग किया है। इस संबंध में, समिति यह नोट करती है कि वित्त वर्ष 2021-22 में 5 अध्ययनों को मंजूरी दी गई है और इस उद्देश्य के लिए आंशिक किस्तें जारी की जानी हैं। इसके अलावा, कुछ कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों का आयोजन किया जाना है और यह उम्मीद की जाती है कि 31 मार्च, 2022 तक पूरे संशोधित अनुमान (आर ई) का उपयोग किया जाएगा। वर्ष 2021-22 के दौरान आरई आवंटन के उपयोग के संबंध में की गई प्रगति को समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वर्ष 2022-23 के लिए, विभाग को फिर से 2.00 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। विभाग के अनुसार, पहले इस योजना के तहत किए गए अध्ययन तदर्थ थे और अब विभाग ने सभी विभागों/संगठनों/उद्योग से अध्ययन की आवश्यकताओं को एकत्र कर लिया है और अब एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करवा रहा है। समिति का मानना है कि इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से देश में फार्मा क्षेत्र के संवर्धन और विकास में मदद मिलेगी और इसलिए समिति सिफारिश करती है कि इस योजना के तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों/अध्ययनों का एक वार्षिक

कैलेंडर एक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले ही तैयार किया जाना चाहिए और अंतिम तिमाही में ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की बजाय किए गए बजटीय आवंटन के संसाधनपूर्ण खर्च के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

ii. समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग देश में फार्मा क्षेत्र के समग्र संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने के लिए फार्मा एक्सपो जैसे मेगा कार्यक्रमों के आयोजन पर विचार करे।

<u>सिफारिश संख्या 13: बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन (सामान्य सुविधा केंद्र के लिए थोक दवा उद्योग को सहायता)</u>

(i) समिति यह नोट करती है कि इस उप-योजना का उद्देश्य विश्व स्तरीय सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के सृजन के लिए सहायता अनुदान प्रदान करके तीन बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देना है। प्रति पार्क 1000 करोड़ रुपये या सीआईएफ की लागत का 70% जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए 90 प्रतिशत होगी। इस योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 3000.00 करोड़ रुपये है और इसके कार्यान्वयन की अवधि 2020-21 से 2024-25 है। समिति ने नोट किया कि यह योजना 2019-20 से शुरू नहीं हो पाई है। 2019-20 के दौरान केवल एक सांकेतिक आवंटन किया गया था। बाद में 2020-21 के दौरान, परियोजना प्रबंधन एजेंसी के लिए 1.69 करोड़ रुपये के आरई आवंटन में से 1.68 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान, संशोधित अनुमान (आर ई) के स्तर पर आवंटित 36.24 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि लाभार्थी राज्यों का चयन करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। तथापि, यह नोट किया गया है कि बजट अनुमान 2022-23 में 900 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। इस राशि का उपयोग अनुदान-सहायता के रूप में सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के निर्माण के लिए तीन चयनित राज्यों को 300 करोड़ रुपये की पहली किस्त देने के लिए किया जाएगा। तेरह राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन किया है। चूंकि परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) ने 2021-22 के दौरान इस योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों में कुछ मुद्दों की पहचान की है, इसलिए सीईओ, नीति आयोग, सचिव, डीओपी और डीपीआईआईटी और व्यय विभाग के प्रतिनिधियों के साथ एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसने विभाग को उच्च प्रौद्योगिकी और बल्क ड्रग सेगमेंट के संबंध में पिछले वर्ष में उभरने वाले बाजार और पर्यावरणीय जोखिम को देखते हुए प्राप्त प्रस्तावों पर गुणात्मक

फिल्टर का एक सेट लागू करने की सलाह दी है । इस संबंध में विभाग में फिलहाल प्रक्रिया चल रही है। देश को निर्भरता के बजाय स्वदेशी रूप से थोक दवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि तीन लाभार्थी राज्यों के चयन की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और जिन राज्यों को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए चुना जाना है, उन्हें 300 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की जानी चाहिए ताकि अप्रयुक्त बजटीय आबंटन को वापस लौटाने की अवांछनीय स्थिति की पुनरावृत्ति न हो।

(ii) समिति का यह भी मानना है कि देश में थोक औषधियों की उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से, देश की विश्व फार्मेसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तीन बल्क ड्रग पार्क पर्याप्त नहीं हैं। चूंकि फार्मा क्षेत्र में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि सभी इच्छुक राज्यों में और अधिक बल्क ड्रग पार्क स्थापित किए जा सकते हैं और इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित बजटीय आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया जा सकता है।

<u>सिफारिश संख्या 14: चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन (सामान्य सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए सहायता)</u>

<u>i.</u> समिति यह नोट करती है कि इस योजना का उद्देश्य सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के सृजन के लिए सहायता अनुदान प्रदान करके 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना है। 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए इस योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपये है। वित्तीय सहायता प्रति पार्क 100 करोड़ रुपये या सीआईएफ की लागत का 70 प्रतिशत, जो भी कम हो, है। यह सहायता पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए 90 प्रतिशत होगी। समिति इस बात के लिए चिंतित है कि 2020-21 और 2021-22 के दौरान इस योजना के लिए आवंटित की गई निधियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान 21.05 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान आवंटन में से केवल 7.49 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए। 2021-22 के दौरान, विभाग ने समिति को सूचना दिए जाने तक 137.02 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान आवंटन में से 50.62 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इस संबंध में विभाग ने समिति को आश्वासन दिया है कि शेष राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले राज्यों को जारी कर दी जाएगी। जाएगी। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार किए गए वास्तविक व्यय का ब्योरा समिति को प्रस्तुत किया जाए। इस पृष्ठभूमि में, बजट अनुमान (बीई)

2022-23 में 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसे विभाग राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) द्वारा आनुपातिक योगदान के साथ 4 चिकित्सा उपकरण पार्क राज्यों को अनुदान की दूसरी किश्त के रूप में जारी करेगा। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के भारतीय अर्थव्यवस्था का एक उदीयमान क्षेत्र होने के नाते, चिकित्सा उपकरण पार्कों में अत्याधुनिक सामान्य अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) का निर्माण समय की आवश्यकता है और उनके सृजन से चिकित्सा उपकरण उद्योग में निजी निवेश आकर्षित होगा। इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग को हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा रहे चार चिकित्सा उपकरण पार्कों को बजटीय निधियां शीघ्र जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और विभाग द्वारा इसकी निगरानी भी की जानी चाहिए कि जारी की गई निधियों का संबंधित राज्यों द्वारा संसाधनपूर्वक उपयोग किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति के बारे में समिति को सूचित किया जाना चाहिए।

ii. समिति देश में और अधिक चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना की आवश्यकता की जांच करने की भी सिफारिश करती है और अन्य राज्यों में भी चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए।

<u>सिफारिश सं.15: महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री(केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषधि सामग्री(एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना</u>

समिति नोट करती है कि इस स्कीम में 41 प्रमुख प्रारंभिक सामग्री(केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती(डीआई) और सक्रिय औषधि सामग्री(एपीआई) के निर्माण के लिए योजना के तहत चुने गए निर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। यह योजना चयनित प्रतिभागियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय रुपये 6,940.00 करोड़ और इसका कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-2021 से 2029-30 तक है। समिति ने नोट किया कि विभाग को वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान के स्तर पर केवल 2.79 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2022-23 में संशोधित अनुमान के स्तर पर 390.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। विभाग के मुताबिक, औषध सेक्टर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। राउंड I और राउंड II में कुल 239 आवेदन प्राप्त हुए थे। 49 आवेदकों को

3,685.38 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ अनुमोदित किया गया है। इन 49 आवेदकों में से 8 ने पहले ही अपने संयंत्रों को चालू कर दिया है और 13 और आवेदकों द्वारा मार्च, 2022 के अंत तक अपने संयंत्रों को चालू करने की उम्मीद है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 41 महत्वपूर्ण एपीआई के लिए आयात पर निर्भरता को कम करना है। हालांकि, समिति ने नोट किया कि 41 महत्वपूर्ण एपीआई में से केवल 33 एपीआई ने घरेलू निर्माताओं के बीच अपने बोलीदाताओं को पाया और अन्य 8 एपीआई के संबंध में प्रतिक्रिया खराब है क्योंकि इन एपीआई की बाजार में मांग नहीं है और ये किण्वन आधारित हैं जिनकी तकनीक मुश्किल और साथ ही महंगी है जिसमें अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, निजी कंपनियां इन 8 एपीआई में निवेश करने से हिचकिचाती हैं क्योंकि उनके अंतिम उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। इस संबंध में समिति नोट करती है कि अन्य देश बिजली की लागत, पानी की लागत और पर्यावरणीय लागत के मामले में बहुत उच्च स्तर की सहायता प्रदान कर रहे हैं। चूंकि महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री/औषधि मध्यवर्ती और सक्रिय औषधि सामग्री के लिए एक मजबूत विनिर्माण आधार बनाना बहुत आवश्यक है ताकि देश पूरी तरह से घरेलू दवाओं की जरूरतों के साथ-साथ निर्यात के लिए स्वदेशी रूप से इन सामग्रियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, समिति इसलिए निम्नलिखित की पुरजोर सिफारिश करती है:-

(i) विभाग को योजना के तहत 390.00 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के समयबद्ध और संसाधनपूर्ण उपयोग के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत सभी 49 आवेदकों द्वारा संयंत्रों को शीघ्र चालू करने और इन संयंत्रों द्वारा समय पर बिक्री शुरू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि उन्हें उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के रूप में <u>प्रोत्साहन</u> दिया जा सके। इस संबंध में की गई प्रगति की सूचना समिति को दी जानी चाहिए।

(ii) चूंकि किण्वन तकनीक कठिन है और बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है,विभाग कोइस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के समन्वय से उन उद्यमियों को उच्च स्तरीय सहायता प्रदान करने पर विचार करना चाहिए जो सब्सिडी वाली बिजली लागत, कम लागत पर पर्याप्त पानी की आपूर्ति, सिंगल विंडो पर्यावरण मंजूरी, कम पर्यावरणीय लागत आदि के संदर्भ में इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए आगे आते हैं।

(iii) विभाग को विभिन्न हितधारकों के परामर्श से 8 एपीआई/केएसएम के स्थान पर वैकल्पिक उत्पादों की एक सूची तैयार करनी चाहिए जो अब कम मांग के कारण आवश्यक नहीं हैं और योजना के तहत शामिल करने के लिए उन वैकल्पिक एपीआई के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी चाहिए।

(iv) चूंकि किण्वन आधारित एपीआई जटिल और महंगी प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं, इसलिए किण्वन प्रक्रिया के लिए लागत प्रभावी वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के आविष्कार के लिए अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस संबंध में एनआईपीईआर को अनुसंधान और विकास में भी लगाया जा सकता है।

<u>सिफारिश सं.16: चिकित्सा उपकरणों के लिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना</u>

i. समिति नोट करती है कि भारत सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को 20.03.2020 को भारत में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण की चुनौतियों से निपटने के लिए अन्य प्रमुख निर्माता देशों की तुलना में मंजूरी दी थी। योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश 29.10.2020 को जारी किए गए थे। यह योजना केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर लागू है और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने का इरादा रखती है। योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2027-28 तक है, जिसमें कुल वित्तीय परिव्यय 3,420.00 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत, चयनित कंपनियों को भारत में निर्मित और योजना के लक्षित खंडों के तहत आने वाले चिकित्सा उपकरणों की बिक्री में वृद्धि के 5% की दर से पांच साल की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए विभाग को बजट अनुमान स्तर पर 216.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो कि 2021-22 के दौरान संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटित 3.31 करोड़ रुपये की तुलना में एक उल्लेखनीय वृद्धि है। इसके अलावा, विभाग ने योजना के तहत 21 आवेदकों को मंजूरी दी है। चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी 21 आवेदक अपने संयंत्रों को समयबद्ध तरीके से चालू करें और चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन और बिक्री शुरू करें ताकि वे योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र बन सकें,

इसलिए समिति सिफारिश करती है कि औषध विभाग द्वारा इन आवेदकों द्वारा संयंत्रों को समय पर चालू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन और बिक्री के आधार पर उन्हें प्रोत्साहन के वितरण के लिए 216.00 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस संबंध में परियोजना प्रबंधन एजेंसी पर एक निश्चित जिम्मेदारी तय की जा सकती है। वर्ष2022-23 के दौरान योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का विवरण समिति को सूचित किया जाना चाहिए।

ii. समिति नोट करती है कि इस योजना के तहत प्रदान किए गए प्रोत्साहन केवल वृद्धिशील बिक्री के लिए हैं और किसी भी तरह से ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों अर्थात् खराब बुनियादी ढांचा, कमजोर घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और रसद, परियोजना वित्त की उच्च लागत, अपर्याप्त बिजली बैकअप, सीमित डिजाइन क्षमता, अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास में कम निवेश, आदि का समाधान नहीं करते हैं। जब तक इन चुनौतियों को दूर नहीं किया जाता है, तब तक यह कल्पना करना मुश्किल है कि घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग पीएलआई योजना से वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग चिकित्सा उपकरण उद्योग के सामने आने वाली इन जमीनी चुनौतियों से निपटने के तरीकों और साधनों पर विचार करे और इस पर उचित कदम उठाए।

<u>सिफारिश सं.17: औषध के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना</u>

समिति ने नोट किया कि फार्मास्युटिकल्स के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट ने 11.11.2020 को इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाने और औषध सेक्टर में उच्च मूल्य के सामानों के उत्पाद विविधकरण में योगदान देने के उद्देश्य से मंजूरी दी थी। इस योजना का एक और उद्देश्य भारत को वैश्विक चैंपियन बनाना है जो अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके आकार और पैमाने में बढ़ने की क्षमता रखता है और इस तरह वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। योजना का परिव्यय 15,000.00 करोड़ रुपये हैऔर औषध सामानों को उनकी वृद्धिशील बिक्री के आधार पर योजना के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना की अवधि वित्त वर्ष 2021 से 2028-29 तक प्रस्तावित है। (संदर्भः पैरा 3.50) हालांकि वर्ष 2022-23 लिए विभाग को बजट अनुमान स्तर परकेवल 3.00 करोड़ रुपये प्राप्त हुए

हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, 3.00 करोड़ रुपये के कुल संशोधित अनुमान आवंटन में से 1.24 करोड़ रुपये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), परियोजना प्रबंधन एजेंसी को सेवा शुल्क के रूप में जारी किए गए हैं और शेष 1.76 करोड़ रुपये सरेंडर कर दिए गए हैं। योजनान्तर्गत सहायता हेतु विभाग की चयन समिति द्वारा अब तक समूह ए के अंतर्गत 11 आवेदकों, समूह 'बी' के अंतर्गत 9 आवेदकों और समूह 'सी' श्रेणी के अंतर्गत 35 आवेदकों का चयन किया गया है। चूंकि योजना के अक्षरश: कार्यान्वयन से देश में औषध क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए समिति निम्नलिखित की सिफारिश करती है:-

i) 2022-23 से योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। विशेष रूप से, तीनों श्रेणियों से संबंधित सभी 55 अनुमोदित आवेदकों द्वारा संयंत्रों को चालू करना 2022-23 के दौरान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें प्रोत्साहन राशि का वितरण शुरू किया जा सके।

ii) योजना के लिए निर्धारित 15,000.00 करोड़ रुपये में से 2022-23 के लिए केवल 3.00 करोड़ रुपये का आवंटन मामूली है। इस संबंध में विभाग को वर्ष 2022-23 के दौरान उत्पादन और बिक्री शुरू करने वाले आवेदकों को प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर निधि के अपेक्षित आवंटन की मांग करनी चाहिए।

iii) इस योजना की श्रेणी 2 के तहत, सक्रिय औषधि सामग्री/प्रमुख प्रारंभिक सामग्री/औषधि मध्यवर्ती को शामिल किया गया है। चूंकि एपीआई/केएसएम/डीआई के लिए एक अलग पीएलआई योजना है, विभाग इस योजना के तहत श्रेणी 2 की आवश्यकता की जांच कर सकता है और उस पर उचित कार्रवाई कर सकता है।

iv) इन श्रेणियों के अधीन औषध के उत्पादन के क्षेत्र को देखते हुए इन तीनों श्रेणियों के अधीन अनुमोदित आवेदकों की संख्या कम है। इस संबंध में विभाग पीएलआई योजना के माध्यम से औषध स्टार्टअप और युवा उद्यमियों के लिए समर्थकारी इकोसिस्टम का निर्माण करे और औषधियों के उत्पादन में भारत को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए इस योजना के अधीन वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों को में वृद्धि करे।

<u>सिफारिश संख्या-18: फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा भविष्य की रणनीति</u>

i. समिति यह नोट कर चिंतित है कि फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए वर्ष 2022-23 के लिए केवल एक लाख रुपये का सांकेतिक आवंटन किया गया है। इस संबंध में समिति नोट करती है कि औषध विभाग औषध और औषधि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा नवोन्मेष को उत्प्रेरित करने के लिए नीति लेकर आया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल नोट का प्रारूप पहले ही परिचालित किया जा चुका है। हमें उद्योगों एवं विभागों से अनेक टिप्पणियां

प्राप्त हुई हैं। अब इस नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि फार्मा क्षेत्र को विकास के अगले स्तर पर ले जाना और वैश्विक बाजार में इस क्षेत्र के महत्व को बढ़ाना आवश्यक है, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि इस नीति को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए और औषध विभाग इस नीति के शब्दश: कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाए। अनुसंधान और विकास के लिए पृथक बजटीय आवंटन भी किया जाना चाहिए ताकि फार्मा क्षेत्र में और विशेषत: चिकित्सीय उपकरण उद्योग में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में आवश्यक वित्त उपलब्ध कराए जा सके। औषध विभाग को वित्त मंत्रालय को समझाना चाहिए कि फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए बजटीय आवंटन की क्या आवश्यकता है। इस प्रयोजन हेतु समिति की यह सिफारिश भी मंत्रालय को बताई जा सकती है।

ii. समिति महसूस करती है कि सरकार द्वारा फार्मा क्षेत्र को हर मोर्चे पर समग्र रूप से विकसित करने और इसे विश्व में अग्रणी बनाने हेतु से सहायता प्रदान करने हेतु, ऐसी स्पष्ट रणनीति बनाया जाना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में समिति सिफारिश करती है कि सरकार इस क्षेत्र के सर्वोत्तम नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों की सहायता से दीर्घावधि योजना/रणनीति बनाए। जिससे की देश में फार्मा क्षेत्र के समग्र विकास हेतु देश में विश्वस्तरीय अवसंरचना का निर्माण हो सके।

<u>सिफारिश संख्या 19: सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता</u>

समिति यह नोट कर चिन्तित है कि औषध विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए की गई 8021.48 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले ''सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता'' शीर्ष के अधीन केवल 5.30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। विभाग ने इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड के लिए 6988.50 करोड़ रुपये का तथा हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के लिए 1038.24 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। तथापि, बजट अनुमान 2022-23 के चरण में इन दोनों उपक्रमों के लिए क्रमश: केवल 4.00 करोड़ रुपये और 1.26 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। औषध विभाग के अनुसार इस विभाग के पीएसयू प्रभाग ने आईडीपीएल का प्रस्ताव और एचएएल द्वारा मांगी गई निधियों (क्रमश: 6988.50 करोड़ रुपये और 1038.24 करोड़ रुपये) विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं असंरक्षित देयताओं जैसी शेष देयताओं के भुगतान की पूर्ति हेतु किया गया है। आईडीपीएल, एचएएल और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के लम्बित बकाया (सेवारत/सेवानिवृत्त/वीआरएस) वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में ऋण के रूप में बजटीय सहायता प्रदान कर निपटाया गया है एवं एचएएल कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ब्याज का भुगतान (76.00 करोड़ रुपये) वर्ष 2021-

22 में निर्गत किया गया है। अब बजट अनुमान 2022-23 में आकस्मिक व्यय, कोर्ट केस आदि के लिए एचएएल और आईडीपीएल के लिए केवल 5.30 करोड़ रुपये की न्यूनतम राशि ही आवश्यक है। आगे समिति नोट करती है कि विभिन्न स्थानों पर आईडीपीएल के संयंत्र बन्द किए जा चुके हैं तथा ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल का संयंत्र उत्तराखंड सरकार को वापस दिया जा रहा है। आरडीपीएल भी बंद की जा चुकी है तथा इसे राजस्थान सरकार को हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव पर विभाग सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। अन्य तीन उपक्रमों के बारे में सरकार ने एचएएल की जो कि घाटे की कम्पनी है, रणनीतिक बिक्री एवं लाभकारी कंपनियों के एपीएल और बीसीपीएल के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव किया है। सरकार जिस प्रकार से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों से निपट रही है, इसे चिन्तापूर्वक नोट करते हुए समिति दृढ़तापूर्वक निम्नलिखित सिफारिशें करती है:-

i) आईडीपीएल और एचएएल की विभिन्न देयताओं जैसे विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों की बकाया देयताएं और असंरक्षित देयताओं को तत्काल समाप्त करने हेतु उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

ii) आईडीपीएल, ऋषिकेश और आरडीपीएल की फैक्ट्रियों को संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूर्ण की जानी चाहिए।

iii) गुड़गांव, हैदराबाद, चेन्नई एवं अन्य स्थानों पर बंद पड़े आईडीपीएल के संयंत्रों के सतत प्रचालन हेतु उन्हें संबंधित राज्य सरकारों को हस्तान्तरित करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

नई दिल्ली;
16 मार्च , 2022
25 फाल्गुन, 1943(शक)

कनिमोझी करुणानिधि
सभापति
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट एक

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

समिति की पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक शुक्रवार, 25 फरवरी , 2022 को 1100 बजे से 1330 बजे तक समिति कमरा संख्या 1, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि – सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
3. श्री सत्यदेव पचौरी
4. श्री अरुण कुमार सागर
5. श्री एम. सेल्वराज
6. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
7. श्री प्रदीप कुमार सिंह
8. श्री उदय प्रताप सिंह

<u>राज्य सभा</u>

9. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
10. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
11. डॉ. अनिल जैन
12. श्री अरूण सिंह

<u>सचिवालय</u>

1. श्री नवीन कुमार झा – निदेशक
2. श्री सी. कल्याणसुन्दरम – अपर निदेशक
3. श्री कुलविन्दर सिंह – उप सचिव
4. श्री पन्ना लाल – अवर सचिव

<u>साक्षी</u>

I. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के प्रतिनिधि

क्र. सं. अधिकारी का नाम पदनाम और विभाग

1.	सुश्री एस. अपर्णा	सचिव, औषध विभाग
2.	श्री सतेन्द्र सिंह	एएस तथा एफए
3.	श्री रजनीश टिंगल	संयुक्त सचिव, औषध विभाग
4.	श्री एन. युवराज,	संयुक्त सचिव, औषध विभाग
5.	श्री एच. के. हजोंग,	आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग

<u>पीएसयू/स्वायत्त संस्थानों के प्रतिनिधि</u>

1.	श्री कमलेश कुमार पंत	अध्यक्ष, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
2.	सुश्री नीरजा सर्राफ	प्रबंध निदेशक, एचएएल और आरडीपीएल, बीसीपी (अतिरिक्त प्रभार)
3.	श्री सुनील कुमार कैमल	प्रबंध निदेशक, केएपीएल
4.	श्री रवि दाधीच	सीईओ (पीएमबीआई)
5.	डॉ शशि बाला सिंह	निदेशक (नाइपर- हैदराबाद)
6.	प्रो दुलाल पांडा	निदेशक (नाइपर) मोहाली

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया जो 'अनुदानों की मांगों 2022-23' पर मंत्रालय के मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई थी। संसदीय समितियों के समक्ष साक्ष्य के दौरान कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 58 की ओर साक्षियों का ध्यान आकर्षित करते हुए, सभापति ने सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए विगत वर्ष (2021-22) के लिए वास्तविक व्यय और वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय प्रावधानों तथा निर्धारित निधियों के इष्टतम उपयोग और वास्तविक लक्ष्यों में अधिकतम उपलब्धियों के लिए मंत्रालय की ओर से कार्य योजना का अवलोकन करने के लिए कहा।

3. औषध विभाग के प्रतिनिधियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय औषध उद्योग की वर्तमान स्थिति और वैश्विक व्यापार, निर्यात और आयात की प्रवृत्ति, भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि में इसके योगदान के बारे में बताया।

4. इसके अतिरिक्त, विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति को विभाग, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, 7 राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) की योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए 2021-22 में बजट उपयोग और वर्ष 2022-23 के लिए ब.अ. के बारे में भी जानकारी दी।

5. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने वर्ष 2021-22 के दौरान स.अ. चरण में किए गए आवंटनों के उपयोग, नाईपर में अनुसंधान को बढ़ावा देने, फार्मास्यूटिकल्स समूहों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, नाईपर अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, और अधिक जन औषधि केंद्र खोलने, आयातित एपीआई पर निर्भरता को कम करने आदि के बारे में सदस्यों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का भी उत्तर दिया।

6. सभापति ने इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने और सदस्यों के प्रश्नो का उत्तर देने के लिए मंत्रालय के सचिव और अन्य प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

7. बैठक की कार्यवाही के शब्दशः रिकार्ड की एक प्रति रखी गई है।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट दो

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)
समिति की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 16 मार्च, 2022 को 1500 बजे से 1545 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री अरूण सिंह - सभापति (कार्यकारी)

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री रमाकान्त भार्गव
3. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
4. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
5. श्री सत्यदेव पचौरी
6. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
7. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
8. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
9. श्री उदय प्रताप सिंह
10. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

राज्य सभा

11. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला
12. श्री जीचन्द्रशेखर .सी .
13. श्री जयप्रकाश निषाद
14. श्री विजय पाल सिंह तोमर
15. श्री केवेंलेल्वना .

<u>सचिवालय</u>

1. श्री विनोद कुमार त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री नवीन कुमार झा - निदेशक
3. श्री सी. कल्याणसुंदरम - अपर निदेशक
4. श्री कुलविंदर सिंह - उप सचिव
5. श्री पन्नालाल - अवर सचिव

2. चूंकि समिति के सभापति बैठक में भाग लेने में असमर्थ थीं इसलिए समिति ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 258 (3) के अंतर्गत बैठक के सभापति के रूप में श्री अरूण सिंह, संसद सदस्य का चयन किया।

3. तत्पश्चात, कार्यकारी सभापति ने समिति के सदस्यों का इस बैठक में स्वागत किया जिसे चार प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचारोपरांत स्वीकार करने के आयोजित की गई थी। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारोपरांत स्वीकार करने के लिए उठाया:-

(i) **** **** ****
(ii) **** **** ****
(iii) **** **** ****
(iv) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) की अनुदानों की मांगें (2022-23)'।

4. समिति ने इन प्रतिवेदनों को विचारोपरांत सर्वसम्मति से किसी संशोधन के बिना ही स्वीकार कर लिया।

5. तत्पश्चात समिति ने सभापति को इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।